रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2016/माघ 21, 1937
No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2016/MAGHA 21, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 2 फरवरी, 2016

सं. टीएएमपी/5/2015–सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08 अक्तूबर, 2014 के अनुपालन में, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, 6 जुलाई, 1994 से अगस्त 2001 तक की अवधि के लिए चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) में कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन की सीमा के मुद्दे पर निर्णय करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/5/2015–सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) ——— **आवेदक**

कोरम:

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश
(जनवरी 2016 के 15वें दिन पारित)

यह मद्रास में माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा इस प्राधिकरण को भेजे गए 6 जुलाई 1994 से अगस्त 2001 तक की अवधि के लिए चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) में कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन, यदि कोई हों, के विस्तार के जारी होने से संबंधित मामला है।

2.1. सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 द्वारा डब्ल्यू.ए. सं. 2000 का 1746 एवं 1747 में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश दिनांक 8 अक्तूबर 2014 के संदर्भ में कंटेनर भंडारण प्रभारों के रुपया मूल्यवर्ग से अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग संशोधन के बारे में सूचित किया है। सीएचपीटी ने माननीय उच्च

न्यायालय के आदेश दिनांक 8 अक्तूबर 2014 की प्रतिलिपि भेजी है। सीएचपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 में कही गई बातों को निम्नवत् रूप में सारबद्ध किया है:–

(i) माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8 अक्तूबर 2014 द्वारा सीएचपीटी द्वारा मद्रास स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन और विभिन्न फर्मों द्वारा दाखिल अन्य संबंधित रिट अपीलों के विरूद्ध दाखिल की गई रिट अपील सं. 1746 एवं 1747 का निम्नलिखित निदेश के साथ निपटान किया है:–

"पक्षकारों के लिए विद्वत वकील ने निर्देश प्राप्त किए हैं और कहा है कि वे हमारे पिछले आदेश 17–09–2014 में यथा सुझाव दी गई अनुवर्ती कार्रवाई का अनुसरण करेंगे। प्रभारों के संशोधन के विस्तार का मुद्दा, यदि कोई हो, सहमति से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अध्याय–V–क के अधीन सांविधिक समिति को भेजा जाता है, इस प्रकार, यह प्रावधान बाद में शामिल किया गया था। इस प्रकार, प्राधिकरण के रूप में समिति पक्षकारों के लिए विद्वत वकीलों द्वारा सहमत हैं कि प्रभारों के संशोधन का मुद्दा निर्णीत किया जाए।

प्राधिकरण पक्षकारों को नोटिस देने के बाद आज से छह महीनों की अवधि के भीतर कार्य को पूरा करने की कोशिश करेगा। यह 06–07–1994 से अगस्त 2001 तक की अवधि के रूप में है।"

(ii) इस संबंध में, सीएचपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 में यथा दी गई मामले की स्थिति को नीचे सारबद्ध किया गया है:

(क) सीएचपीटी के दरमानों के अनुसार, कंटेनर भंडारण प्रभार भारतीय रुपयों में वसूल किए गए थे और सीएचपीटी में कंटेनर टर्मिनल प्रचालनों के शुरू होने के समय से भारतीय रुपयों में संग्रहीत किए गए हैं।

(ख) वर्ष 1994 के दौरान, कंटेनर भंडारण प्रभारों को भारतीय रुपए मूल्यवर्ग से अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग में संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था। तदनुसार, मद्रास पत्तन न्यास (एमपीटी) दरमान 1992 को संशोधन पर्ची सं. 9 जारी की गई थी। संशोधन पर्ची के अनुसार, पत्तन अमेरिकी डॉलर खरीद दर में कंटेनर भंडारण प्रभार वसूल करेगा और 6 जुलाई 1994 से कंटेनर पोत के आगमन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार भारतीय रुपयों में देयताएं संग्रहीत करेगा। उपर्युक्त संशोधन पर्ची 19 जुलाई 1995 को तमिलनाडु के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। सीएचपीटी ने उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि भेजी है।

(ग) मद्रास स्टीमर एजेंट्स (एमएसए) ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दाखिल करते हुए अमेरिकी डॉलर में कंटेनर भंडारण प्रभारों की वसूली के लिए पत्तन की अधिसूचना को चुनौती दी थी और व्यादेश प्राप्त किया था। सीएचपीटी द्वारा 29 सितम्बर 1997 को एक जवाबी शपथपत्र दाखिल किया था। उसके बाद, इस मामले की सुनवाई की गई थी और माननीय एकल न्यायाधीश ने सीएचपीटी की अधिसूचना को रद्द करते हुए 28 अगस्त 2000 को एक आदेश पारित किया था। एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 28 अगस्त 2000 की प्रतिलिपि सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है।

(घ) इसपर असंतोष व्यक्त करते हुए, सीएचपीटी ने न्यायालय के आदेश दिनांक 28 अगस्त 2000 को निरस्त करने के लिए खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका सं. 1746 एवं 1747 दाखिल की थीं। खंड पीठ ने 22 नवम्बर 2000 से अमेरिकी डॉलर में प्रभारों की वसूली के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया था। खंड पीठ के अंतरिम आदेश की प्रति भी सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है। तदनुसार, कंटेनर भंडारण प्रभार 22 नवम्बर 2000 से अमेरिकी डॉलर में संग्रहीत किए गए थे।

खंड पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2000 [पैरा 2.1 (ii) (घ) में यथा उल्लिखित] नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:–

"याचिका प्रार्थना करते हुए कि उच्च न्यायालय माननीय श्री न्यायाधीश पी. षण्मुगम के आदेश दिनांक 28–08–2000 और क्रमशः डब्ल्यू. पी. सं. 1994 का 11747 और 1997 का 5806 में उच्च न्यायालय के विशेष मूल न्यायाधिकार का प्रयोग करते हुए पत्रों के खंड 15 के अधीन डब्ल्यू.ए. सं. 2000 की 1746 एवं 1747 लंबित अपील (सी.एम.पी. सं. 15038 एवं 15040/2000 में) माननीय उच्च न्यायालय की फाइल पर क्रमशः डब्ल्यूपी सं. 1994 की 11747 और 1997 की 5806 में दिए गए आदेश दिनांक 28–8–2000 को लागू करने पर रोक लगाई जाए।

याचिका पर आज सुनवाई की गई और वकीलों का पक्ष सुना गया, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया है:

"केवसाटर की सुनवाई की गई।

मोशन नोटिस चार सप्ताहों तक वापसीयोग्य है। इसी बीच, विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश पर यह निदेश देते हुए रोक लगाई जाती है कि धनराशि की वापसी की जाए, और नई प्रशुल्क दरों के अनुसार बक़ाया राशियों की वसूली की जाए। तथापि, प्रतिवादी आज से आगे संशोधित प्रशुल्क के अनुसार दरों की अदायगी करेगा।"

(ङ) 6 जुलाई 1994 से 21 नवम्बर 2000 तक की अवधि के लिए देय कंटेनर भंडारण प्रभारों के संबंध में, यह मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था। जुलाई 1994 से नवम्बर 2000 तक की अवधि के लिए विभिन्न फर्मों (141 फर्मों) से वसूली–योग्य कंटेनर भंडारण प्रभारों का अन्तर लगभग रु. 116.50 करोड़ है। (सीएचपीटी ने देय राशि के अन्तर का फर्म–वार ब्रेकअप भेजा है)।

(च) इसी बीच, 30 नवम्बर 2001 को, कंटेनर टर्मिनल निजीकरण करार के अधीन 30 वर्षों के लिए दीर्घावधि पट्टे पर कंटेनरों के प्रहस्तन हेतु मै. चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लि. (सीसीटीपीएल) को हस्तांतरित किया गया था। सीसीटीपीएल को कंटेनर टर्मिनल के हस्तांतरण के बाद, कुछ फर्मों ने प्रतिभूति जमा और उनके द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए अनुरोध किया था।

उपर्युक्त अनुरोध के आधार पर, जुलाई 1994 से नवम्बर 2000 तक प्रहस्तित कंटेनरों के लिए फर्मों को धनराशि वापसी पर रोक लगाने के लिए 7 अगस्त 2004 और 26 जून 2008 को अध्यक्ष की मंजूरी प्राप्त की गई है, क्योंकि कंटेनर भंडारण प्रभारों से संबंधित मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित था।

(छ) उपर्युक्त परिस्थितियों के अधीन, सीएचपीटी द्वारा दाखिल रिट याचिका सं. 2000 का 1746 और 1747 उपर्युक्त विषय पर विभिन्न अन्य फर्मों द्वारा दाखिल की गई अन्य याचिकाओं/अपीलों के साथ 17 सितम्बर 2014 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थीं। 17 सितम्बर 2014 को हुई सुनवाई में, न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के वकीलों को निदेश दिया था कि वे अनुदेश प्राप्त करें कि क्या सम्पूर्ण मामला (अर्थात् कंटेनर भंडारण प्रभारों के संबंध में स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन के विरूद्ध सीएचपीटी द्वारा दाखिल डब्ल्यू.ए. 2000 का 1746 और 1747) अधिनिर्णयन के लिए टीएएमपी को भेज दिया जाए।

(ज) उसके बाद, इस मामले पर 8 अक्तूबर 2014 को दोबारा सुनवाई की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने विभिन्न फर्मों द्वारा दाखिल याचिकाओं/अपीलों सहित सीएचपीटी द्वारा दाखिल की गई रिट अपीलों का निपटान किया था।

2.2. इस परिप्रेक्ष्य में, सीएचपीटी ने अपने पत्र में इस प्राधिकरण से इस मामले पर कार्यवाही करने और सीएचपीटी द्वारा जारी की गई संशोधन पर्ची सं. 9 दिनांक 6–7–1994 के अनुसार, 6–7–1994 से 21–11–2000 अवधि के लिए कंटेनर भंडारण प्रभारों की वसूली के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

2.3. माननीय एकल न्यायाधीश ने स्वामित्व के आदेश दिनांक 28 अगस्त 2000 में निम्नलिखित दो प्रश्नों पर विचार किया था:

(i) लेवी की प्रकृति क्या है और कौन देनदार है, तथा

(ii) क्या लेवी उचित है।

मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा इस प्राधिकरण को भेजा गया मुद्दा प्रभारों के संशोधन, यदि कोई हों, का विस्तार'' पर निर्णय लेने के लिए है। अतः माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त 2000 का प्रासंगिक सार (उपर्युक्त पैरा 2.1 (ii)(ग) में यथा उल्लिखित), माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा सुविचारित दूसरे प्रश्न ''क्या लेवी उचित है'' से संबंधित, माननीय खंड पीठ द्वारा भेजे गए मुद्दे के परिपेक्ष्य को समझने के प्रयोजन के लिए ही ध्यान में रखा गया है, जिसे प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

3. चूंकि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस प्राधिकरण को निदेश दिया है कि पक्षकारों को नोटिस देने के बाद कार्यवाही पूरी करे, सीएचपीटी पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 की प्रति संलग्नकों के साथ 19 पक्षकारों, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 अक्तूबर 2014 में यथा सूचीबद्ध, को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई थीं। इसके अलावा, चूंकि पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) भी सीएचपीटी द्वारा दाखिल की गई रिट अपील में प्रतिवादियों में से एक था, सीएचपीटी पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 की प्रति संलग्नकों के साथ एमओएस को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। ये टिप्पणियां सीएचपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं। अनुस्मारक के पश्चात, सीएचपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा प्रत्युत्तर दिया था।

4.1. जैसाकि पहले बताया गया है, सीएचपीटी पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 की प्रतिलिपि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8 अक्तूबर 2014 के आदेश में यथा सूचीबद्ध 19 पक्षकारों को अग्रेषित की गई थी। इस संबंध में, मै. इंडिया ट्राइडेन्ट प्रा. लि., मै. डब्ल्यू.डब्ल्यू. शिपिंग एंड फारवर्डिंग प्रा. लि., मै. यूनाइटेड लाइनर एजेंसीज (इंडिया) प्रा. लि., मै. विजया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि., कुड्डालोर, मै. पारिख मरीन एजेन्सीज प्रा. लि., चेन्नई, मै. सत्य साईं सर्जिकल्स लि., बेंगलूर, म. गौरव इम्पेक्स, नई दिल्ली, मै. श्री सच्चिदानंदन प्लास्टिक्स, चेन्नई, मै. सुमंगल ओवरसीज़ लि., म. वेबरो एक्सपोर्ट्स लि., बेंगलूर, मै. मेटेलिको इम्पेक्स, दिल्ली और सिम्पेक्स ट्रेडिंग कम्पनी (प्रा.) लि. को भेजा गया पत्र डाक विभाग द्वारा यह कहकर हमें वापिस लौटा दिया गया है कि उनके पते बदल चुके हैं। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि वे पते जिनपर पत्र उक्त पक्षकारों को भेजा गया था, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 अक्तूबर 2014 की प्रतिलिपि जो सीएचपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 द्वारा हमें अग्रेषित की गई थी में दर्शाए गए पते थे।

4.2. तदनुसार, सीएचपीटी से हमारे पत्र दिनांक 22 जनवरी 2015 और 30 जनवरी 2015 द्वारा अनुरोध किया गया था कि उपर्युक्त पक्षकारों के अद्यतन पते हमें शीघ्र भेजें जाएं ताकि इन पक्षकारों को सीएचपीटी पत्र की प्रति दोबारा अग्रेषित की जा सके। अनुस्मारकों के बाद, सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 20 फरवरी 2015 द्वारा केवल दो पक्षकारों अर्थात् मै. यूनाइटेड लाइनर एजेंसीज (इंडिया) प्रा. लि. और मै. पारिख मरीन एजेन्सीज प्रा. लि. के अद्यतन पते भेजे थे। अन्यों के संबंध में, सीएचपीटी ने कहा है कि उनके अभिलेखों के अनुसार पते भी वही पाए गए हैं जो डब्ल्यू.ए. 1746 और 1747 में यथा दिए गए पते हैं। तदनुसार, हमने हमारे पत्र दिनांक 24 फरवरी द्वारा सीएचपीटी पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 और 8 फरवरी 2015 की प्रतिलिपि मै. यूनाइटेड लाइनर एजेंसीज (इंडिया) प्रा. लि. और मै. पारिख मरीन एजेन्सीज प्रा. लि. को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी थी। इस मामले पर अंतिम रूप से कार्यवाही किए जाने तक हमें इन दो पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त नही हुई थीं।

5. सीएचपीटी से प्राप्त पत्र की प्राथमिक संवीक्षा के आधार पर, सीएचपीटी से हमारे पत्र दिनांक 16 जनवरी 2015 द्वारा अनुरोध किया गया था कि पत्र की पावती के समय निम्नलिखित दस्तावेज भेजें। सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 8 फरवरी 2015 द्वारा प्रत्युत्तर दिया है। हमारे द्वारा मांगे गए ब्योरे और उसपर सीएचपीटी का प्रत्युत्तर नीचे सारबद्ध किए गए हैं:–

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>हमारे द्वारा मांगी गई सूचना</th><th>सीएचपीटी का उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>सीएचपीटी की अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई 1994 के संदर्भ में</td><td></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>6 जुलाई 1994 से पहले मौजूद कंटेनर भंडारण प्रभारों को कवर करते हुए सीएचपीटी के दरमानों की प्रतिलिपि।</td><td>(सीएचपीटी द्वारा प्रेषित एसओआर की प्रतिलिपि से, 6 जुलाई 1994 से पहले मौजूद कंटेनर भंडारण प्रभारों को कवर करते हुए प्रासंगिक हिस्सा (1992 संस्करण का मान ख, अध्याय IIक) नीचे दिया गया है:
(क). खाली कंटेनर

<table>
<tr><th></th><th colspan="4">दर प्रति कंटेनर</th></tr>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वर्गीकरण</th><th>20 फीट लम्बाई तक (रु.)</th><th>20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)</th><th>40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>प्रथम 7 दिनों के लिए</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>8वें से 14वें दिन तक</td><td>40</td><td>75</td><td>120</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>उसके बाद</td><td>125</td><td>250</td><td>375</td></tr>
</table>

(ख) लदे हुए कंटेनर:
(i) आयातः

<table>
<tr><th></th><th colspan="4">दर प्रति कंटेनर</th></tr>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वर्गीकरण</th><th>20 फीट लम्बाई तक (रु.)</th><th>20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)</th><th>40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>प्रथम 3 दिनों के लिए</td><td>निःशुल्क</td><td>निःशुल्क</td><td>निःशुल्क</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>अगले 4 दिनों से 15 दिनों तक</td><td>15</td><td>25</td><td>45</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>अगले 16 से 30 दिनों तक</td><td>65</td><td>125</td><td>195</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>उसके बाद</td><td>125</td><td>250</td><td>375</td></tr>
</table>

(ii) निर्यातः
रेल अथवा सड़क द्वारा प्रवेश की तारीख के अगले दिन से अथवा निर्यातों के भरण की तारीख के अगले दिन से नौभरण तक।</td></tr>
</table>

	दर प्रति कंटेनर		
क्र.सं. वर्गीकरण	20 फीट लम्बाई तक (रु.)	20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)	40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)
(i) प्रथम 3 दिनों के लिए	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
(ii) अगले 4 दिनों से 30 दिनों के लिए	15	25	45
(iii) अगले 31 से 45 दिनों के लिए	25	50	75
(iv) उसके बाद	125	250	375

(ii)	संशोधित कंटेनर भंडारण प्रभारों के अनुमोदन के लिए सीएचपीटी द्वारा अपने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव।	बोर्ड ने बी.आर. सं. 146 द्वारा संशोधित कंटेनर भंडारण प्रभार 29–10–93 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किए थे। कंटेनर भंडारण प्रभारों के अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की प्रति सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है। सीएचपीटी द्वारा प्रेषित कार्यसूची की प्रति से निम्नलिखित स्थिति देखी गई है:–

क. खाली कंटेनरों के मामले में

\- मौजूदा

क्र.सं.	वर्गीकरण	20 फीट लम्बाई तक (रु.)	20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)	40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)
(i)	प्रथम 7 दिनों के लिए	20	40	60
(ii)	8वें दिन से 14वें दिन तक	40	75	120
(iii)	उसके बाद	125	250	375

\- प्रस्तावित

क्र.सं.	वर्गीकरण	20 फीट लम्बाई तक (रु.)	20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)	40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)
(i)	प्रथम 3 दिनों के लिए	20	40	60
(ii)	4थें दिन से 7वें दिन तक	100	200	300
(iii)	8वें दिन से 15वें दिन तक	500	1000	1500
(iv)	उसके बाद	1000	2000	3000

ख. लदे हुए एफसीएल आयात कंटेनरों के मामले में

- मौजूदा

क्र.सं.	वर्गीकरण	20 फीट लम्बाई तक (रु.)	20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)	40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)
(i)	प्रथम 3 दिनों के लिए	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
(ii)	4थें दिन से 15वें दिन तक	15	25	45
(iii)	16वें दिन से 30वें दिन तक	65	125	195
(iv)	उसके बाद	125	250	375

- प्रस्तावित

क्र.सं.	वर्गीकरण	20 फीट लम्बाई तक (रु.)	20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)	40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)
(i)	प्रथम 3 दिनों के लिए	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
(ii)	4थे दिन से 15वें दिन तक	500	1000	1500
(iii)	16वें दिन से 30वें दिन तक	2000	4000	6000
(iv)	उसके बाद	7000	14000	21000

(iii) कंटेनर भंडारण प्रभारों को संशोधित करने से पहले संबद्ध उपयोक्ताओं द्वारा की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, की प्रति।

कंटेनर टर्मिनल को पोत प्राप्त करने के लिए भीड़ से मुक्त रखने की तात्कालिक जरूरत पर एक वर्ष के लिए न्यास के साथ विभिन्न चर्चाओं में ट्रेड शामिल रहा है। लम्बी चर्चा के बाद ही, ट्रेड से प्रतिनिधियों के संघटन वाले बोर्ड ने, 26–10–93 को हुई बैठक में बी.आर. सं. 146 द्वारा दरों में वृद्धि की थी।

इस सम्बंध में, सीएचपीटी ने डब्ल्यू.पी. सं. 11747 में इसके द्वारा दाखिल किए गए काउंटर शपथपत्र के पैरा 7 का संदर्भ आकर्षित किया है। काउंटर शपथपत्र के पैरा 7 का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"इन परिस्थितियों में, सात दिनों के भीतर खाली किए गए अथवा निकासित एफसीआई कंटेनरों हेतु मौजूदा दरों का अनुमान लगाते हुए खाली कंटेनरों एवं लदे हुए कंटेनरों तथा आयातों के लिए एलसीएल कंटेनरों और निर्यात के लिए लदे हुए कंटेनरों के मामले में वृद्धि की गई है। बोर्ड द्वारा वृद्धि पर विचार तथा निर्णय किए जाने से पहले, कंटेनर टर्मिनल को भीड़ से मुक्त रखने के लिए तत्काल जरूरत पर विभिन्न चर्चाओं में ट्रेड को शामिल किया गया था। रिट याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि 2000 कंटेनर निकासी के लिए

<table>
<tr><td></td><td></td><td>पत्तन में लंबित पड़े हैं। लम्बी चर्चाओं के बाद, ट्रेड और सभी अन्य हितों के प्रतिनिधियों के संघटन वाले बोर्ड ने 26–10–1993 को हुई अपनी बैठक में वृद्धि अनुमोदित की थी। संशोधित दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई थीं और 6–7–1994 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन पर प्रभावी हो गई थीं। याचिकाकर्ता ने खाली कंटेनरों एवं लदे हुए कंटेनरों के मामले में दरों में वृद्धि करते हुए अधिसूचना को चुनौती देते हुए उपर्युक्त रिट याचिकाएं दाखिल की थीं। यह सादर निवेदन है कि यह वृद्धि कंटेनर टर्मिनल में भीड़ को कम करने और राष्ट्रीय, जन तथा पत्तन उपयोक्ता के हित में की गई थी। यह निवेदन है कि दरों का संशोधन कानूनी, वैध और संविधि के तहत बोर्ड तथा सरकार के पास निहित शक्ति के अधीन है। सादर निवेदन है कि रिट याचिकाओं में लगाए गए आरोपों तथा दावों में से कोई भी तर्कसंगत नहीं है। यह दोहराया गया है कि कंटेनर परिवहन तीव्र परिवहन में सहायता के आशय से है। सात दिनों के भीतर ले जाए गए कंटेनरों को वृद्धि की देयता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह केवल उन चूककर्ताओं के लिए है जो टर्मिनल की कार्यप्रणाली को मुश्किल में डालते हैं, उन्हें विलंब की सीमा पर निर्भर वृद्धि का सामना करना होगा। इससे उन लोगों के वास्तविक हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके कंटेनर स्वीकृत निःशुल्क अवधियों के बीच बाहर ले जाए जाते हैं। चूंकि वर्धित दर की देयता चूककर्ताओं पर ही है, इसलिए यह आरोप कि वृद्धि मनमानी पूर्ण अथवा अनुचित है, तर्कसंगत नहीं है।''</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन के लिए सीएचपीटी के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए न्यासी बोर्ड के कार्यवृत्तों की प्रतिलिपि।</td><td>दिनांक 29–10–93 को हुई बैठक के कार्यवृत्तों की प्रतिलिपि सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है, और जैसाकि बोर्ड के कार्यवृत्तों में उल्लेख किया गया है।

''अध्यक्ष की टिप्पणी दिनांक 27 अक्तूबर 1993 पढ़ें, दरमानों में संशोधन प्रस्तावित करना, खाली कंटेनरों तथा एफसीएल कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभारों हेतु दर में वृद्धि करना और कंटेनर प्रचालकों की ओर से शटआउट कंटेनरों को तात्कालिकता के रूप में लाने के लिए, कंटेनर टर्मिनल से कम से कम संभव समय में कंटेनरों को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाने हेतु, जैसाकि अध्यक्ष की टिप्पणी के पैरा 4, 5 और 6 में प्रस्ताव किया गया है।

खाली कंटेनरों तथा एफसीएल कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभारों की दरों में वृद्धि करते हुए और शट आउट कंटेनरों के लिए प्रभारों की नई दर की वसूली के लिए पत्तन के दरमानों में संशोधन का चर्चा के बाद समाधान कर लिया गया है।''</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन के लिए सीएचपीटी के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु भारत सरकार में संबद्ध मंत्रालय को भेजे गए सीएचपीटी प्रस्ताव की प्रतिलिपि।</td><td rowspan="2">बोर्ड के अनुमोदन के बाद, प्रस्ताव पत्र दिनांक 29–1–94 द्वारा अनुमोदन हेतु मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था। मंत्रालय ने अपने पत्र सं. पीआर–14012/9/94–पीजी दिनांक 6/9 मई 1994 द्वारा संशोधित दरें मंजूर की थीं, जिसकी प्रतिलिपि सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है।</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन के लिए संप्रेषित भारत सरकार में संबद्ध मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतिलिपि।</td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपि।</td><td>राजपत्र अधिसूचना दिनांक 6–7–94 की प्रतिलिपि सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है। संशोधित कंटेनर भंडारण प्रभार नीचे दिए गए हैं:–
- खाली कंटेनर
<table>
<tr><th></th><th colspan="4">दर प्रति कंटेनर प्रतिदिन अथवा उसका भाग</th></tr>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वर्गीकरण</th><th>20 फीट लम्बाई तक (रु.)</th><th>20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)</th><th>40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>प्रथम 7 दिनों के लिए</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>अगले 8वें से 15वें दिनों के लिए</td><td>500</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>उसके बाद</td><td>1000</td><td>2000</td><td>3000</td></tr>
</table>
- लदे हुए एफसीएल आयात कंटेनर (7 दिनों बाद निकासित)
<table>
<tr><th></th><th colspan="3">दर प्रति कंटेनर प्रतिदिन अथवा उसका भाग</th></tr>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वर्गीकरण</th><th>20 फीट लम्बाई तक</th><th>20 फीट से अधिक और 40 फीट</th><th>40 फीट से अधिक लम्बाई</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

			(रु.)	लम्बाई तक (रु.)	(रु.)
		(i)	प्रथम 3 दिनों के लिए	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
		(ii)	अगले 4थें से 15वें दिन	500	1000	1500
		(iii)	16वें से 30वें दिन तक	2000	4000	6000
		(iii)	उसके बाद	7000	14000	21000
(ख)	**सीएचपीटी की अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 1995 के संदर्भ में**				
(i)	कंटेनर भंडारण प्रभार संशोधित करने से पहले संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठन निकायों के साथ सीएचपीटी द्वारा की गई कार्यवाहियों की प्रतिलिपि।	बोर्ड ने 27 जुलाई 1994 को हुई अपनी बैठक में कंटेनर भंडारण प्रभारों की दरों में वृद्धि के प्रश्न पर एक उपसमिति गठित की थी जिसमें न्यासी, उपयोक्ता एजेंसियों के प्रतिनिधियों तथा न्यास के अधिकारियों को शामिल किया गया था। बोर्ड के समक्ष पेश किए गए एजेंडा नोट और बैठक के कार्यवृत्तों के सार की एक–एक प्रति सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है।			
(ii)	संशोधित भंडारण प्रभारों के अनुमोदन के लिए अपने बोर्ड के समक्ष इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया सीएचपीटी का प्रस्ताव।	उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11–8–1994 प्रस्तुत की थी। सीएचपीटी द्वारा प्रेषित उसमिति रिपोर्ट की प्रति से यह देखा गया है कि विस्तृत चर्चाओं के आधार पर और बम्बई और कलकत्ता पत्तनों में प्रभावित प्रभारों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित भंडारण प्रभार सही और उचित महसूस किए गए थे:			

(i) खाली कंटेनर:

	पत्तन को जाने वाले कंटेनर/कार्गो पर भंडारण शुल्क/विलंबशुल्क			
क्र.सं.	**वर्गीकरण**	**20 फीट लम्बाई तक (रु.)**	**20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)**	**40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)**
(i)	1-7 दिन	20	40	60
(ii)	8वें से 15वें दिन	100	200	300
(iii)	उसके बाद	500	1000	1500

(ii) लदे हुए कंटेनर:

	पत्तन को जाने वाले कंटेनर/कार्गो पर भंडारण शुल्क/विलंबशुल्क			
क्र.सं.	**वर्गीकरण**	**20 फीट लम्बाई तक (रु.)**	**20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)**	**40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)**
(i)	1–3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
(ii)	4थें से 15वें दिन	15	25	45
(iii)	16वें से 30वें दिन	300	600	900
(iv)	उसके बाद	1000	2000	3000

(iii) शट आउट प्रभार:

	पत्तन को जाने वाले कंटेनर/कार्गो पर भंडारण शुल्क/विलंबशुल्क

		<table><tr><th>क्र.सं.</th><th>वर्गीकरण</th><th>20 फीट लम्बाई तक (रु.)</th><th>20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)</th><th>40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>1000</td><td>2000</td><td>3000</td></tr></table> (iv) हटाना प्रभार: <table><tr><td></td><td colspan="4">पत्तन को जाने वाले कंटेनर/कार्गो पर भंडारण शुल्क/विलंबशुल्क</td></tr><tr><td>क्र.सं.</td><td>वर्गीकरण</td><td>20 फीट लम्बाई तक (रु.)</td><td>20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)</td><td>40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>500</td><td>750</td><td>1000</td></tr></table> (iv) सीपीवाई में अतिरिक्त आवागमन प्रभार: <table><tr><td></td><td colspan="4">पत्तन को जाने वाले कंटेनर/कार्गो पर भंडारण शुल्क/विलंबशुल्क</td></tr><tr><td>क्र.सं.</td><td>वर्गीकरण</td><td>20 फीट लम्बाई तक (रु.)</td><td>20 फीट से अधिक और 40 फीट लम्बाई तक (रु.)</td><td>40 फीट से अधिक लम्बाई (रु.)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>500</td><td>750</td><td>1000</td></tr></table> समिति ने यह भी अनुशंसा की थी कि पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तावित दरों पर निर्णय लिए जाने तक, मौजूदा पुरानी दरें लागू की जाएं ना कि हाल ही में बढ़ाई गई दरें। उपसमिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, एक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष इसकी 17 अगस्त 1994 को हुई बैठक में रखा गया था। बोर्ड ने बी.आर. सं. 112 द्वारा कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन हेतु उपसमिति की अनुशंसाएं अनुमोदित की थीं। इसके अलावा, उसी बैठक में, अमेरिकी डॉलरों में कंटेनरों पर भंडारण प्रभारों के लिए दरों को अधिसूचित करने हेतु बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष की टिप्पणी दिनांक 16 अगस्त 1994 के आधार पर, बोर्ड ने बी.आर. सं. 113 द्वारा खाली कंटेनरों/एफसीएल कंटेनरों/शटआउट कंटेनरों आदि के मामले में अमेरिकी डॉलरों में संशोधित कंटेनर भंडारण प्रभार अनुमोदित किए थे।
iii)	कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन के लिए सीएचपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए न्यासी बोर्ड के कार्यवृत्तों की प्रतिलिपि।	दिनांक 17–8–94 को हुई न्यासी बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्तों की प्रतिलिपि सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, बोर्ड ने बी.आर. सं. 112 द्वारा कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन के लिए उपसमिति की अनुशंसाएं अनुमोदित की थीं। इसके अलावा, उसी बैठक में, अमेरिकी डॉलरों में कंटेनरों पर भंडारण प्रभारों के लिए दरों को अधिसूचित करने हेतु बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष की टिप्पणी दिनांक 16 अगस्त 1994 के आधार पर, बोर्ड ने बी.आर. सं. 113 द्वारा खाली कंटेनरों/एफसीएल कंटेनरों/शटआउट कंटेनरों आदि के मामले में अमेरिकी डॉलरों में संशोधित कंटेनर भंडारण प्रभार अनुमोदित किए थे।
(iv)	कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन के लिए सीएचपीटी के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए भारत सरकार में संबद्ध मंत्रालय	भूतल परिवहन मंत्रालय को संबोधित पत्र दिनांक 24–8–2014 की प्रतिलिपि सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है। सीएचपीटी ने अपने पत्र में एमपीटी एक्ट की धारा 54 के अधीन

<table>
<tr><td></td><td>को भेजे गए सीएचपीटी के प्रस्ताव की प्रतिलिपि।</td><td>तमिलनाडु सरकार के राजपत्र दिनांक 6–7–94 में पहले से प्रकाशित दरों को रद्द करने के लिए सरकार की मंजूरी की मांग की थी, क्योंकि उपर्युक्त दरें न्यायालय के रोक आदेश की वजह से लागू नहीं की जा सकी थीं।

अमेरिकी डॉलरों के रूप में एफसीएल कंटेनरों और खाली कंटेनरों के भंडारण के लिए संशोधित दरों और महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 52 के अधीन शटआउट कंटेनरों के लिए दरों हेतु भी सरकार की मंजूरी मांगी गई थी। सरकार को भेजे गए पत्र में यह भी बताया गया है कि सरकार की मंजूरी प्राप्त होने पर, संशोधित दरें प्रकाशन की तारीख से लागू करने हेतु तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी।</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन के लिए संप्रेषित भारत सरकार में संबद्ध मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतिलिपि।</td><td>मंत्रालय ने अपने पत्र सं. पीआर–14012/31/94–पीजी दिनांक 4 जुलाई 1995 द्वारा बी. आर. सं. 113 दिनांक 17–8–94 हेतु अपना अनुमोदन संप्रेषित किया था और 30 दिनों के बाद एफसीएल कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभारों के मामले के सिवाय न्यासी संकल्प सं. 113 दिनांक 17 अगस्त 1994 में शामिल प्रस्ताव के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 52 के अधीन केन्द्रीय सरकार की मंजूरी संप्रेषित की थी। 30 दिनों के बाद एफसीएल कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभार निम्नवत् निर्धारित किए गए थे:
<table>
<tr><td>20'</td><td>20'-40'</td><td>40' से अधिक</td></tr>
<tr><td>रु.</td><td>रु.</td><td>रु.</td></tr>
<tr><td>अमेरिकी डॉलर</td><td>अमेरिकी डॉलर</td><td>अमेरिकी डॉलर</td></tr>
<tr><td>2000</td><td>4000</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>95.20</td><td>190.40</td><td>285.60</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपि।</td><td>राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19–7–95 की प्रतिलिपि सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है। इस प्रकार, संशोधित कंटेनर भंडारण प्रभार निम्नवत् थे:–

(i) खाली कंटेनर:
<table>
<tr><td></td><td>20' तक</td><td>20' से अधिक-40'</td><td>40' से अधिक</td></tr>
<tr><td></td><td>अमेरिकी डॉलर</td><td>अमेरिकी डॉलर</td><td>अमेरिकी डॉलर</td></tr>
<tr><td>प्रथम 7 दिनों के लिए</td><td>0.95</td><td>1.91</td><td>2.86</td></tr>
<tr><td>8 से 15 दिनों तक</td><td>4.76</td><td>9.52</td><td>14.28</td></tr>
<tr><td>उसके बाद</td><td>23.80</td><td>47.60</td><td>71.40</td></tr>
</table>
(ii) लदे हुए एफसीएल आयात कंटेनर
(7 दिनों के भीतर निकासित)
<table>
<tr><td></td><td>20' तक</td><td>20' से अधिक-40'</td><td>40' से अधिक</td></tr>
<tr><td></td><td>अमेरिकी डॉलर</td><td>अमेरिकी डॉलर</td><td>अमेरिकी डॉलर</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		<table><tr><td>प्रथम 3 दिनों के लिए</td><td>निःशुल्क</td><td>निःशुल्क</td><td>निःशुल्क</td></tr><tr><td>अगले 4 से 15 दिन</td><td>0.72</td><td>1.19</td><td>2.14</td></tr><tr><td>अगले 16 से 30 दिन</td><td>3.10</td><td>5.95</td><td>9.28</td></tr><tr><td>उसके बाद</td><td>5.95</td><td>11.90</td><td>17.85</td></tr></table> * अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि तमिलनाडु सरकार अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई 1994 में प्रकाशित भंडारण प्रभारों की दरें उक्त अधिसूचना तथा भंडारण प्रभार 6 जुलाई 1994 से प्रतिस्थापित किए गए हैं, के मद्देनजर रद्द किए गए हैं। (iii) लादे गए एफसीएल आयात कंटेनर (7 दिनों के बाद निकासित): <table><tr><td></td><td>20' तक</td><td>20' से अधिक-40'</td><td>40' से अधिक</td></tr><tr><td></td><td>अमेरिकी डॉलर</td><td>अमेरिकी डॉलर</td><td>अमेरिकी डॉलर</td></tr><tr><td>प्रथम 3 दिनों के लिए</td><td>निःशुल्क</td><td>निःशुल्क</td><td>निःशुल्क</td></tr><tr><td>अगले 4 से 15 दिन</td><td>0.72</td><td>1.19</td><td>2.14</td></tr><tr><td>अगले 16 से 30 दिन</td><td>14.28</td><td>28.56</td><td>42.84</td></tr><tr><td>उसके बाद</td><td>95.20</td><td>190.40</td><td>285.60</td></tr></table>
(ग)	अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्गित कंटेनर भंडारण प्रभारों में रुपए मूल्यवर्गित कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन की परिस्थितियों पर एक नोट समर्थक दस्तावेजों के साथ।	सीएचपीटी ने इस सम्बंध में एक नोट भेजा था। (तथापि, यह नोट भंडारण प्रभारों में वृद्धि के लिए सीएचपीटी द्वारा जरूरत महसूस करने पर जोर देता है और रुपए मूल्यवर्गित कंटेनर भंडारण प्रभारों से अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्गित प्रभारों के संशोधन के लिए परिस्थितियों पर प्रकाश नहीं डालता है।)
(घ)	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त 2014 के होते हुए सीएचपीटी पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 का अनुबंध–III सुपाठ्य नहीं है। अतः सीएचपीटी से अनुरोध है कि उक्त आदेश की सुपाठ्य प्रति भेजें।	आदेश दिनांक 28–8–2000 की सुपाठ्य प्रति सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है।
(ङ)	अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 1995 (सीएचपीटी पत्र दिनांक 22 दिसम्बर के साथ यथा संलग्न अनुबंध–II) की प्रतिलिपि कंटेनरों के लिए विराम समय का निर्धारण और अमेरिकी डॉलर में उसपर भंडारण प्रभार दर्शाता है। तथापि, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28 अगस्त 2000 (सीएचपीटी पत्र दिनांक 22 दिसम्बर के साथ यथा संलग्न अनुबंध–III) की प्रतिलिपि में उक्त आदेश के पृष्ठ 30 पर, जो 6 जुलाई 1994 से पहले और 6 जुलाई 1994 एवं 19 जुलाई 1995 की दो अधिसूचनाओं के बाद की दरें दर्शाता है, प्रभार भारतीय रुपए में	6–7–1994 से पहले के दरमानों में केवल भारतीय रुपयों में ही कंटेनर भंडारण प्रभार निर्धारित जाते थे। सीएचपीटी ने अधिसूचना दिनांक 6–7–1994 द्वारा कंटेनर भंडारण प्रभारों में वृद्धि की थी। तथापि, कंटेनर भंडारण प्रभार केवल रुपयों में निर्धारित किए गए थे। तत्पश्चात, बोर्ड द्वारा गठित उपसमिति की अनुशंसाओं के आधार पर, 6–7–94 को अधिसूचित वर्धित कंटेनर भंडारण प्रभार कम किए गए थे और बोर्ड द्वारा बी.आर. सं. 112 दिनांक 17–8–94 द्वारा अनुमोदित किए गए थे। बी.आर. सं. 112 द्वारा अनुमोदित संशोधित दरें भी कंटेनर भंडारण प्रभार रुपयों में निर्धारित की

	निर्धारित किया जाना दर्शाया गया है। वास्तव में, माननीय न्यायालय के सम्पूर्ण आदेश में, अमेरिकी डॉलर रूप में प्रभारों के निर्धारण का कोई संदर्भ नहीं है। अतः, सीएचपीटी से अनुरोध है कि स्थिति स्पष्ट करें।	जाती थीं। तथापि, 17–8–94 को हुई बोर्ड की बैठक में ही, बी.आर. सं. 113 द्वारा अमेरिकी डॉलर रूप में कंटेनर भंडारण प्रभारों का निर्धारण बी.आर. सं. 112 द्वारा अनुमोदित संशोधित दरों के आधार पर परिवर्तित अनुमोदित किया गया था। इसके बारे में हमारे पत्र दिनांक 24–8–94 द्वारा मंत्रालय को सूचना दी गई थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बोर्ड ने बी.आर. सं. 113 में उपसमिति द्वारा अनुशंसित प्रस्तावित दरें अनुमोदित की हैं, परन्तु अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित की गई हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 4–7–1995 द्वारा बी.आर. सं. 113 हेतु अपना अनुमोदन संप्रेषित किया था। तदनुसार, बी.आर. सं. 113 द्वारा अनुमोदित संशोधित दरें 19–7–95 को तमिलनाडु राजपत्र में अधिसूचित की गई थीं। अधिसूचना दिनांक 19–7–95 में निर्धारित कंटेनर भंडारण प्रभार केवल अमेरिकी डॉलर में निर्धारित किए गए थे। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह बताया गया है कि रिट याचिका सं. 1994 की 11747 एमएसएए द्वारा अधिसूचना दिनांक 6–7–94 (रुपयों में) को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। चूंकि रिट याचिका का विषय कंटेनर भंडारण प्रभारों में पर्याप्त वृद्धि था, इसलिए अमेरिकी डॉलर रूप में कंटेनर भंडारण प्रभारों के परिवर्तन का मुद्दा आदेश दिनांक 28–8–2000 के अनुसार संव्यवहारित नहीं किया गया है। इसके अलावा, आदेश के पृष्ठ 30 में निर्दिष्ट दरों की तुलना के सम्बंध में, यह महसूस किया गया है कि तुलना की सुविधा के लिए, उपसमिति द्वारा अनुशंसित संशोधित कंटेनर भंडारण प्रभार लिए गए हैं, क्योंकि ये दरें अमेरिकी डॉलर रूप में परिवर्तित की गई हैं और 19–7–95 को अधिसूचित की गई हैं।
(च)	जैसाकि सीएचपीटी को ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्राधिकरण को 8 अक्तूबर 2014 से छह माह की अवधि के भीतर प्रभारों के संशोधन के मुद्देर पर निर्णय लेने का निदेश दिया है। विचार करते हुए कि सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 इस प्राधिकरण को इस स्थिति से अवगत करवाया है, यह देखा जाना है कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद लगभग ढाई माह की अवधि बीत चुकी है और माननीय न्यायालय के निदेश का अनुपालन करने के लिए इस मामले का निपटान करने हेतु इस प्राधिकरण के पास केवल साढे तीन माह ही उपलब्ध हैं। अतः, सीएचपीटी से अनुरोध है कि अपेक्षित सूचना 27 जनवरी 2015 तक भेजें ताकि संदर्भित मामले पर आगे की कार्यवाही की जा सके।	यह सही है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले पर निर्णय लेने के लिए टीएएमपी को निदेश देते हुए 8 अक्तूबर 2014 को एक आदेश पारित किया था। तथापि, 8 अक्तूबर 2014 को पारित आदेश न्यायालय द्वारा केवल 24–11–2014 को ही जारी किया गया है। उसके बाद, न्यास एलए ने उपर्युक्त आदेश की प्रतिलिपि सीएचपीटी को 25–11–2014 को अग्रेषित की थी। इस कार्यवाही में ही डेढ़ माह से अधिक समय बीत गया था। तथापि, न्यास एलए से उच्च न्यायालय आदेश की प्राप्ति पर, मामला टीएएमपी को भेजने के लिए कार्रवाई की गई थी और एक प्रस्ताव तैयार किया गया था और व्यक्तिगत रूप से 24–12–2014 को टीएएमपी को प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, टीएएमपी से अनुरोध है कि इस मामले पर प्राथमिकता पर कार्यवाही करें और पत्तन इस सम्बंध में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
(छ)	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस प्राधिकरण को पक्षकारों को नोटिस जारी करने के बाद कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया था। अतः, सीएचपीटी पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 संलग्नक के साथ, माननीय खंड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 अक्तूबर 2014 में यथा सूचीबद्ध संलग्न सूची में यथा उल्लिखित उपयोक्ताओं/संगठन निकायों को परिचालित किया गया था। इसके अलावा, चूंकि पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) भी सीएचपीटी द्वारा दाखिल की गई रिट अपील में प्रतिवादियों में से एक देखा गया है, इसलिए संलग्नक के साथ सीएचपीटी के पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 की प्रति भी एमओएस को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई थी।	सीएचपीटी ने इस स्थिति को नोट कर लिया गया बताया है।

6.1. सीएचपीटी से हमारे पत्र दिनांक 19 फरवरी 2015 द्वारा अनुरोध किया गया था कि सीएचपीटी की अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई 1994 और 19 जुलाई 1995 से संबंधित कंटेनर भंडारण प्रभारों की दर पर पहुंचने के लिए गणना/लागत भेजें।

6.2. इस संबंध में, सीएचपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा बताया है कि कंटेनर भंडारण प्रभारों की वृद्धि लम्बी अवधि के लिए पत्तन परिसर में कंटेनरों के भंडारण को रोकने और ऐसे कंटेनरों को दंडित करने के लिए मुख्य रूप से था जो निःशुल्क समय के भीतर पत्तन परिसर में बाहर नहीं ले जाए गए थे। इसके अलावा, भंडारण प्रभार एक शुल्क नहीं है, यह भूमि किराया की प्रकृति में है और इसमें दंडात्मक संकेतार्थ है। संशोधित कंटेनर भंडारण प्रभार न्यासी मंडल की उपसमिति द्वारा (अपनी रिपोर्ट दिनांक 11 अगस्त 1994 में, जिसकी प्रतिलिपि टीएएमपी को पहले ही भेजी जा चुकी है) निर्धारित किए गए थे और अन्य कोई गणनाएं लागत ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर रूप में कंटेनर भंडारण प्रभारों के परिवर्तन क संदर्भ में, यह बताया गया है कि भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 14012/16/9.1—पीजी दिनांक 3 अगस्त 1994 द्वारा सभी महापत्तनों के अध्यक्षों को निदेश दिया था कि मौजूदा भंडारण और कंटेनर प्रभार अमेरिकी डॉलरों में अधिसूचित किए जाएं और समकक्ष भारतीय रुपयों में वसूल किए जाएं और वह ऐसा परिवर्तन 30—6—1991 को प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर किया जाए। तदनुसार, बोर्ड की उप समिति द्वारा निर्धारित कंटेनर भंडारण प्रभार अमेरिकी डॉलर रूप में परिवर्तित किए गए थे और बोर्ड द्वारा बी.आर. सं. 113 दिनांक 17 अगस्त 1994 द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

6.3. सीएचपीटी पत्र दिनांक 8 फरवरी 2015 अनुलग्नकों के साथ की संवीक्षा के आधार पर, हमने हमारे पत्र दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा सीएचपीटी से अनुरोध किया था कि निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजें। सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा प्रत्युत्तर दिया था। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना और उसपर सीएचपीटी का प्रत्युत्तर नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:—

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना	सीएचपीटी का प्रतिसाद
i.	6—7—1994 को कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन के बाद, सीएचपीटी ने अपने बोर्ड का रूख किया देखा गया है, जिसने बाद में दरों में वृद्धि के प्रश्न को देखने के लिए एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया था। सीएचपीटी अपने बोर्ड के पास दोबारा जाने का कारण स्पष्ट करे, जब 6—7—1994 को भंडारण प्रभारों का संशोधन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया गया था।	सीएचपीटी द्वारा 6—7—94 को अधिसूचित वर्धित कंटेनर भंडारण प्रभारों को मद्रास स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन द्वारा डब्ल्यू.पी. सं. 1994 का 11747 के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसमें माननीय न्यायातय ने अंतरिम रोक लगा दी थी। माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त रोक के मद्देनजर, 6—7—94 को अधिसूचित कंटेनर भंडारण प्रभार लागू नहीं किए जा सके थे। याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती का मुख्य आधार उस समय के मौजूदा कंटेनर भंडारण प्रभारों में बहुत ज्यादा वृद्धि थी। जब यह मामला आगे की कार्रवाई के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था तो बोर्ड ने इस सम्बंध में आगे की कार्रवाई के लिए अनुशंसा करने हेतु एक उपसिमिति का गठन कर दिया था।
ii.	उपर्युक्त पत्र दिनांक 8 फरवरी 2015 के कवर में सीएचपीटी द्वारा प्रेषित अनुबंध VIII के पृष्ठ 6 में, संकल्प सं. 113 में, अमेरिकी डॉलरों में कंटेनरों पर भंडारण प्रभारों के लिए दरें अधिसूचित करने हेतु बोर्ड की मंजूरी की मांग करते हुए अध्यक्ष के नोट दिनांक 16 अगस्त 1994 की संदर्भ आकर्षित किया गया है। सीएचपीटी अध्यक्ष के उक्त नोट दिनांक 16—8—1994 की प्रतिलिपि भेजे।	अध्यक्ष के नोट दिनांक 16 अगस्त 1994 की प्रतिलिपि सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है। (यह समाहार करते हुए अध्यक्ष का नोट कि बोर्ड उपसमिति की अनुशंसाओं पर चर्चा कर सकता है और प्रभारों के संशोधन एवं इसकी रिपोर्ट में समिति द्वारा यथा सुझाए गए अन्य बिन्दुओं पर निर्णय ले सकता है।)
iii.	संदर्भित मामला (माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 8 अक्तूबर 2014 में यथा उल्लिखित) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2014 की प्रतिलिपि भेजें।	डॉकेट आदेश दिनांक 17—9—2014 की प्रति सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है। (आदेश का प्रचालनात्मक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: "राजपत्र में 06 जुलाई 1994 को प्रकाशित अधिसूचना एवं अधिसूचना दिनांक 19—7—1995 द्वारा रिट कार्यवाहियों को बढ़ावा देने के लिए अनुवर्ती संशोधन तथा विवादित आदेश के माध्यम से भंडारण प्रभारों को संशोधित करने का चेन्नई पत्तन न्यास की कोशिश, संशोधन को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया है कि यह प्रदत्त सेवाओं के अनुरूप नहीं है और बहुत ज्यादा है। यह राय व्यक्त की गई है कि इन पहलुओं पर उपसमिति द्वारा सही से विचार नहीं किया गया है, परन्तु न्यास को उचित विचार के बाद आनुपातिक रूप से दरों में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की गई है। कोई विरोधी अपील नहीं हैं। यह भी सूचित किया गया है कि अनुवर्ती वर्षों के लिए यह मुद्दा सांविधिक समिति की अवधारणा बनाते हुए 09—01—1997 से, अधियिम, 15, 1997 द्वारा शामिल, माहपत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 47—क के लेखा पर अनुवर्ती वर्षों के लिए नहीं उठता है। 2. इसमें कोई विरोध नहीं है कि इसमें कुछ संशोधन होगा परन्तु यह संशोधन की सीमा है जोकि प्रश्नाधीन है। इस प्रकार, हमने इसकी ओर से आगे की मुकदमेबाजी से बचने के लिए पक्षकारों के लिए विद्वत अधिवक्ता रखे हैं, इसे भी ध्यान में रखते हुए कि समय बीतने के साथ जोकि पहले ही बीत चुका है, क्या सांविधिक समिति के लिए प्रभारों के संशोधन के इस मुद्दे का

<table>
<tr><td></td><td></td><td>उल्लेख करने के लिए सहमत होगा जोकि इसे समाप्त करने के लिए बाद में मौजूदा में आएगा।")</td></tr>
<tr><td>iv.</td><td>सीएचपीटी स्पष्ट करे कि क्या उसके प्रशुल्क का सामान्य संशोधन वर्ष 1994 से 2000 के दौरान लागू किया गया था। यदि हां, तो वृद्धि/कटौती का प्रतिशत जोकि उस प्रासंगिक समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समग्र पत्तन के कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभारों में लागू किया गया था, इसके बारे में बताएं। इस सम्बंध में राजपत्र अधिसूचना की प्रति अधिसूचित दरमानों सहित भेजें।</td><td>वर्ष 1994 से 1999 तक सीएचपीटी में प्रशुल्क का कोई सामान्य संशोधन नहीं किया गया था। वर्ष 2000 के दौरान, प्रशुल्क का सामान्य संशोधन टीएएमपी द्वारा अपने आदेश दिनांक 22 मार्च 2000 (मामला सं. टीएएमपी/3/99–सीएचपीटी) द्वारा अनुमोदित किया था जिसे 10 अप्रैल 2000 को राजपत्र में राजपत्र सं. 37 द्वारा अधिसूचित किया गया था। कार्गो/कंटेनर गतिविधि में सीएचपीटी द्वारा प्रस्तावित और टीएएमपी द्वारा अनुमोदित प्रतिशत वृद्धि, इस आदेश में नीचे तालिकाबद्ध की गई है:
<table>
<tr><th>गतिविधि/उप–गतिविधि</th><th>वृद्धि का प्रस्तावित %</th><th>टीएएमपी द्वारा अनुमोदित %</th></tr>
<tr><td>सामान्य कार्गो</td><td>25%</td><td>18%</td></tr>
<tr><td>क्रेनभाड़ा और एफएलटी</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>एफ.सी. वेगइ</td><td>50%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>भंडारगृह</td><td>50%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>पी.ओ.एल.</td><td>10%</td><td>---</td></tr>
<tr><td>लौह अयस्क</td><td>100%</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>कंटेनर प्रहस्तन</td><td>40%</td><td>---</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

7.1. सीएचपीटी के बोर्ड द्वारा 1995 में गठित उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट में कंटेनर भंडारण प्रभारों की अनुशंसा करते समय मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) और कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के दरमानों का संदर्भ लिया था। इसलिए, यह उचित महसूस किया गया था कि एमबीपीटी तथा केओपीटी के साथ–साथ अन्य प्रमुख कंटेनर प्रहस्तन पत्तनों के एसओआर में प्रचलित स्थिति का पता लगाया जाए। तदनुसार, हमने हमारे पत्र दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा कुछ प्रमुख कंटेनर प्रहस्तन करने वाले महापत्तन न्यासों से अनुरोध किया था कि 1994 से 2000 के बीच प्रचलित कंटेनर भंडारण प्रभार दर्शातेहुए अपने दरमानों का प्रासंगिकसार भेजें।

7.2. इस प्रत्युत्तर में, कांडला पत्तन न्यास, मुम्बई पत्तन न्यास, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, कोचीन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) तथा कोलकाता पत्तन न्यास ने सूचना भेजी है। उपर्युक्त महापत्तन न्यासों के 1994 से 2000 के बीच प्रचलित दरमानों में यथा प्रदर्शित कंटेनर भंडारण प्रभारों की तुलनात्मक स्थिति प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजी जाएगी। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

8.1. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 6 अप्रैल 2015 को चेन्नई में सीएचपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। सीएचपीटी ने संदर्भित मामले पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया था। संयुक्त सुनवाई में, सीएचपीटी और संबद्ध पक्षों ने अपने निवेदन पेश किए थे।

8.2. संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत, हमारे पत्र दिनांक 8 अप्रैल 2015 द्वारा पक्षों से विषय प्रस्ताव पर अतिरिक्त निवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। प्रत्युत्तर में, मदुरा कोट्स प्रा0 लि0 (एमसीपीएल) ने अपने पत्र दिनांक 18 अप्रैल 2015 और सीईपीएसएए एवं एससीआई ने अपने पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2015 द्वारा अपने निवेदन प्रस्तुत किए थे। ये निवेदन सीएचपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में भेजे गए थे। सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 5 मई 2015 और 6 मई 2015 द्वारा पक्षों के लिखित निवेदनों पर अपना जवाब भेजा था। यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 5 मई 2015 द्वारा एमसीपीएल की टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर देते समय अपनी टिप्पणियों की प्रति एमसीपीएल को भी पृष्ठांकित की थी। तदनुसार, एमसीपीएल ने बाद में, अपने पत्र दिनांक 9 मई 2015 द्वारा सीएचपीटी की टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर दिया था।

8.3. एमसीपीएल पत्र दिनांक 9 मई 2015 के प्रत्युत्तर में, सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 22 मई 2015 द्वारा कहा था कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है क्योंकि वे अपनी टिप्पणियां पहले ही भेज चुके हैं।

9.1. इसी बीच, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए छह महीने की समयावधि 7 अप्रैल 2015 को समाप्त हो रही थी। तदनुसार, हमने हमारे पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2015 द्वारा हमारे अधिवक्ता से अनुरोध किया था कि वे 7 अप्रैल 2015 से पहले माननीय उच्च न्यायालय को स्थिति से अवगत करवाएं और संदर्भित सीएचपीटी मामले का निपटान करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से 7 अप्रैल 2015 से अधिकतम 12 सप्ताह का और समय मांगने के लिए हमारी ओर से आवेदन दाखिल किया जाए।

9.2. इस सम्बंध में, हमारे अधिवक्ता ने अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2015 द्वारा बताया था कि उन्होंने माननीय न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष मामला प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय के पर्यवेक्षण और विचार के आधार पर, हमारे अधिवक्ता ने कहा था कि चूंकि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 8 अक्तूबर 2014 में प्रयुक्त शब्द ''प्रयत्न करना'' है, यह दर्शाता है कि यह एक सशर्त आदेश नहीं है। अतः, अधिवक्ता का मत था कि हम इस मामले पर शीघ्र कार्रवाई कर सकते हैं।

10. जैसाकि पहले बताया गया है, सीएचपीटी ने प्रारंभ में अपने पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 द्वारा इस प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि वे सीएचपीटी द्वारा जारी की गई शोधन पर्ची सं. 9 दिनांक 6–7–1994 के अनुसार 6–7–1994 से 21–11–2000 तक की अवधि के लिए कंटेनर भंडारण प्रभारों की वसूली के लिए जरूरी आदेश पारित करे। (सीएचपीटी द्वारा उल्लिखित शोधन पर्ची सं. 9 दिनांक 6–7–1994 सीएचपीटी द्वारा लागू किए गए कंटेनर भंडारण प्रभारों में प्रारंभिक वृद्धि से सम्बंधित है)।

तत्पश्चात, पक्षकारों में से एक अर्थात् चेन्नई एंड एन्नोर पोर्टस स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन (सीईपीएसएए) द्वारा किए गए निवेदनों का प्रत्युत्तर देते समय, सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 03 फरवरी 2015 द्वारा कहा था कि पत्तन का प्रस्ताव बी.आर. सं. 112 और 113 दिनांक 17 अगस्त 1994 द्वारा यथा अनुमोदित प्रभार अनुमोदित करने के लिए है। (सीएचपीटी द्वारा उल्लिखित बी.आर. सं. 112 और 113 दिनांक 17 अगस्त 1994 उपसमिति की अनुशंसाओं के अनुसार क्रमशः कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन के लिए बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन और अमेरिकी डॉलरों में कंटेनरों पर भंडारण प्रभारों हेतु दरों के निर्धारण से सम्बंधित है।)

इस प्रकार, अति संक्षेप में, पत्तन का प्रस्ताव निम्नलिखित के अनुमोदन की मांग के लिए है:–

क्र.सं.	विवरण	(अ.डा. में)		
		20'	**40'**	**40' से अधिक**
1	खाली कंटेनर			
	पहले 7 दिन	0–95	1–91	2–86
	8–14 दिन	4–76	9–52	14–28
	उसके बाद	23–80	47.60	71.40
2	लदे हुए कंटेनर (7 दिनों के बाद निकासित)			
	पहले 3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
	4–15 दिन	0.72	1.19	2.14
	16 30 दिन	14.28	28.56	42.84
	उसके बाद	95.20'	190.40'	285.60'

* हालांकि सीएचपीटी ने उपसमिति द्वारा यथा अनुशंसित अमेरिकी डॉलरों में मूल्यवर्गित दरों के लिए मंत्रालय के अनुमोदन की मांग की थी, सरकार ने अनुमोदन प्रदान करते समय लदे हुए कंटेनरों के लिए 20' हेतु 30वें दिन के बाद रु. 2000/–, 40' के लिए रु. 4000/– और 40' से अधिक के लिए रु. 6000/– दरों पर विचार किया था और तदनुसार डॉलर मूल्यवर्गित प्रशुल्क अधिसूचित किया था।

11. इस मामले में परामर्श सम्बंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे http://tariffauthority.gov.in हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

12. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:–

(i) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन करते हुए अप्रैल 1997 में इस प्राधिकरण का गठन किया गया था। इस प्राधिकरण का कार्य महापत्तन न्यासों अथवा पत्तन अथवा 42 के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति अथवा पत्तन पहुंचमार्गों से सम्बंध में उपलब्ध करवाई गई धारा 48 के अधीन विनिर्दिष्ट सेवाओं में से किसी सेवा के लिए दरमान और उसके अधीन शर्तों के विवरण तैयार करना था। धारा 48 के अधीन सूचीबद्ध सेवाओं में से एक भंडारण अथवा पत्तन या पत्तन पहुंचमार्गो की सीमाओं के भीतर किसी ऐसे स्थान पर माल का विलंबशुल्क है। इस प्राधिकरण को महापत्तन न्यासों से सम्बंधित संपत्ति के उपयोग के लिए दरमान और शर्तों के विवरण निर्धारित करने हेतु भी अधिनियम 49 की धारा 49 के अधीन अधिकार

प्राप्त है। अधिनियम में संशोधन करने से पहले, महापत्तन न्यास प्रदत्त सेवाओं और पत्तन सम्पत्ति के उपयोग के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित और केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर महापत्तन न्यास द्वारा प्रस्तावित दरों के अनुसार प्रभार वसूल कर रहे थे।

(ii) चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीसीटीपीएल), सीएचपीटी में एक बीओटी (निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण) प्रचालक, को नवम्बर 2001 में कंटेनर टर्मिनल के हस्तांतरण से पहले, सीएचपीटी अन्य प्रमुख कार्गो मदों जैसे शुल्क बल्क कार्गो (खाद्यान्न, लौह अयस्क, कोयला उर्वरक आदि), द्रव्य बल्क (कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद आदि) और ब्रेक बल्क (चीनी, परियोजना कार्गो आदि) और अन्य विविध कार्गो श्रेणी के अलावा कंटेनरों का प्रहस्तन कर रहा था।

(iii) सीएचपीटी के दरमान के 1992 संस्करण में विभिन्न कार्गो मदों के लिए अन्य प्रभारों में कंटेनर भंडारण हेतु प्रभार निर्धारित किए गए थे। 6 जुलाई 1994 से पहले, कंटेनर भंडारण प्रभार भारतीय रुपए में मूल्यवर्गित किए गए थे। जुलाई 1994 में, सीएचपीटी ने 1992 के दरमानों में प्रासंगिक प्रविष्टियां संशोधित करते हुए कंटेनर भंडारण प्रभारों में वृद्धि की थी। जुलाई 1994 में भारतीय रुपयों में कंटेनर भंडारण प्रभारों का मूल्यवर्ग बनाए रखा गया था। चेन्नई स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन (सीएसएए) ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में भंडारण प्रभारों की वृद्धि को चुनौती दी थी और जुलाई 1994 में स्थगन आदेश प्राप्त किया था। इसलिए, सीएचपीटी इस मामले की समीक्षा करना चाहता था और कुछ न्यासियों तथा उपयोक्ता एसोसिशनों को शामिल करते हुए एक उपसमिति नियुक्त की गई थी जिसे पूर्ण लदे हुए कंटेनर (एफसीएल) के भंडारण प्रभारों में वृद्धि के प्रश्न, अन्य कंटेनर संबंधित प्रशुल्क मदों को देखने के लिए कहा गया था। उपसमिति ने दरें संशोधित की थीं और अगस्त 1994 में सीएचपीटी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। दरें अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित की गई थीं। तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय ने संशोधित दरों के लिए जुलाई 1995 में अपना अनुमोदित संप्रेषित किया था। सीएचपीटी ने 19 जुलाई 1995 को राजपत्र में इसकी अधिसूचना द्वारा कम की गई दरें 6 जुलाई 1994 से प्रतिस्थापित की थी। सीएसएए ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में 19 जुलाई 1995 की अधिसूचना को चुनौती भी दी थी। माननीय एकल न्यायाधीश ने प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने के बाद और संबद्ध पक्षों को अवसर देने के बाद दरों में उचित वृद्धि निर्धारित करने के लिए सीएचपीटी के अधिकार से पक्षपात किए बिना आदेश दिनांक 28 अगस्त 2000 द्वारा सीएचपीटी की दोनों अधिसूचनाएं निरस्त कर दी थीं। आदेश में सीएचपीटी को यह भी निदेश दिया गया था कि यदि कोई अधिक वसूली की गई है तो उसकी वापसी की जाए। एकल न्यायाधीश के आदेश से असंतुष्ट होकर, सीएचपीटी ने माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त 2000 को खारिज करने के लिए खंड पीठ के समक्ष अपील की थी। माननीय खंड पीठ ने अंतरिम आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2000 में माननीय एकल न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें राशि वापिस करने ओर नई दरों के अनुसार बकाया राशियों के संग्रहण का निदेश दिया गया था। तथापि, माननीय खंड पीठ ने संबद्ध को 22 नवम्बर 2000 से संशोधित प्रशुल्क के अनुसार दरों की अदायगी का निदेश दिया था। उसके बाद, संयुक्त न्यायनिर्णय दिनांक 9 अक्तूबर 2014 द्वारा, माननीय खंडपीठ ने 06 जुलाई 1994 से अगस्त 2001 अवधि के लिए प्रभारों के संशोधन, यदि कोई हो, के विस्तार का मुद्दा पक्षकारों को नोटिस देने के बाद अपीलकर्ताओं की सहमति से इस प्राधिकरण को भेज दिया था, यह भी स्वीकार करते हुए कि इस प्राधिकरण का गठन जुलाई 1994 के बाद हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय का निदेश इस प्राधिकरण पर बाध्यकारी है, जबकि इस प्राधिकरण का गठन अप्रैल 1997 में ही किया गया था।

(iv) तदनुसार, पक्षकारों को नोटिस देने के लिए, निर्धारित परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई थी। सीएचपीटी पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 की प्रति संलग्नकों के साथ पक्षकारों को उपब्ध करवाई गई थी। सीएचपीटी पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 के हिस्से प्रश्नाधीन अवधि के दौरान प्रहस्तित कंटेनर के लिए सीएचपीटी की चुनौती दी गई अधिसूचना के अधीन कंटेनर भंडारण प्रभार, अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 1995 के अनुसार प्रभार्य कंटेनर भंडारणप्रभारों के फर्म–वार ब्योरों के रूप में, प्रभार्य है जैसाकि सीएचपीटी द्वारा पुष्टि की गई है।

(v) सीएचपीटी ने दो अधिसूचनाएं जारी की थीं, एक अन्य प्रभारों में खाली कंटेनरों और एफसीएल कंटेनरों हेतु भंडारण प्रभार संशोधित करते हुए 06 जुलाई 1994 को और दूसरी अधिसूचना 06 जुलाई 1994 को अधिसूचित वृद्धि को काफी कम करते हुए 19 जुलाई 1995 को जारी की गई थी। अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 1995 सीएचपीटी के न्यासी बोर्ड के संकल्प सं. 112 और 113 दिनांक 17 अगस्त 1994 पर आधारित थी। इस आधार पर कि मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने दोनों अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया था और माननीय खंड पीठ के आदेश ने माननीय एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को खारिज नहीं किया था, सीएसएए ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि वह सीएचपीटी को प्रश्नाधीन अवधि के लिए प्रशुल्क के संशोधन हेतु इस प्राधिकरण के समक्ष एक नया प्रस्ताव दाखिल करे। जब सीएसएए का अनुरोध सीएचपीटी को संप्रेषित किया गया था तो पत्तन ने निवेदन किया था कि पत्तन का प्रस्ताव उसके न्यासी बोर्ड द्वारा संकल्प सं. 112 और 113 द्वारा अनुमोदित खाली कंटेनरों तथा एफसीएल (7 दिनों के बाद निकासित) के लिए अमेरिकी डॉलर रूप में भंडारण प्रभारों के अनुमोदन के लिए है। संकल्प सं. 112 खाली कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभारों के संशोधन से सम्बंधित है। यह 1992 संस्करण के सीएचपीटी के दरमानों में III, क्रम सं. 2 (लदे हुए कंटेनर) में प्रवेश के तदनुरूप सात दिनों के बाद निकासित लदे हुए कंटेनरों (एफसीएल) के भंडारण प्रभारों के संशोधन से भी संबंधित है। संकल्प सं. 113 अमेरिकी डॉलर में प्रभारों के मूल्यवर्गीकरण से सम्बंधित है। पत्तन ने नया प्रस्ताव तैयार करने में असमर्थता व्यक्त की थी। पत्तन ने दावा किया था कि यह इस प्राधिकरण पर है कि वह स्वतंत्र रूप से इस मामले की जांच करे और माननीय खंड पीठ के आदेशानुसार आदेश जारी करे। चूंकि सीएचपीटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका प्रस्ताव 17 अगस्त 1994 के बोर्ड संकल्प को आगे लेकर चलने के लिए है, संकल्प सं. 112 और 113 दिनांक 17 अगस्त 1994 को खारिज करना इस प्राधिकरण के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अतः संकल्प सं. 112 और 113 दिनांक 17 अगस्त 1994 सीएचपीटी के प्रस्ताव रूप में सुविचारित किया गया है।

(vi) माननीय न्यायाधीश द्वारा खारिज किए गए आदेशों के अधीन प्रभार्य कंटेनर भंडारण प्रभार उपलब्ध करवाने के लिए सीएचपीटी को एमसीपीएल द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में, प्रश्नाधीन अवधि के दौरान प्रहस्तित कंटेनरों के लिए, सीएचपीटी द्वारा सही बताया गया है, सीएचपीटी के पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 की प्रति जो पक्षकारों को परिचालित की गई थी, इसमें सीएचपीटी अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 1995 के अनुसार प्रभार्य कंटेनर भंडारण प्रभारों के फर्म–वार ब्योरे शामिल थे। भंडारण सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएचपीटी द्वारा प्रोद्भूत वास्तविक लागत के सम्बंध में, सीएचपीटी की राय में, चूंकि कंटेनर भंडारण प्रभार प्रदत्त सेवाओं के लिए शुल्क नहीं है; यह कंटेनरों द्वारा अधिग्रहीत स्थान के लिए भूमि किराये की प्रकृति है और यह दंड संकेतार्थ है। सीएचपीटी का यह प्रतिसाद एमसीपीएल को स्वीकार्य नहीं है। एमसीपीएल ने कहा है कि सेवाएं उपलब्ध करवाने की

लागत और अन्य महापत्तन न्यासों द्वारा प्रभारित कंटेनर भंडारण प्रभारों की वसूली की सीमा इस प्राधिकरण के पास उपलब्ध होनी चाहिए। हालांकि भंडारण सेवाएं उपलब्ध करवाने की लागत उच्च न्यायालय कार्यवाहियों में विवादपूर्ण मुद्दा था और इस प्राधिकरण द्वारा परामर्श कार्यवाहियां की गई थीं, ऐसे कोई लागत ब्योरे इस प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। अन्य महापत्तन न्यासों द्वारा भंडारण प्रभारों की वसूली के बारे में सूचना के सम्बंध में, हमने अन्य प्रमुख कंटेनर प्रहस्तन करने वाले पत्तनों द्वारा प्रभारित कंटेनर भंडारण प्रभार अलग–अलग स्लैब अवधियों में संग्रहीत किए थे और इस विश्लेषण में सुविचारित किया गया है।

(vii) इस प्राधिकरण से अपेक्षा की गई है कि माननीय खंड पीठ के निदेशों के अनुसार, कार्य पूरा करने से पहले पक्षकारों को नोटिस दिया जाए। तदनुसार, निर्धारित परामर्श कार्यवाही शुरू की गई थी, जैसाकि पहले बताया गया है। सीएचपीटी पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2014 की प्रतिलिपि पक्षकारों में परिचालित की गई थी। इस प्राधिकरण ने पक्षकारों और सीएचपीटी के बीच लिखित तर्कों का आदान–प्रदान किया था। सीएचपीटी और पक्षकारों के साथ सीएचपीटी परिसर में एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। सीएचपीटी और पक्षकारों ने संयुक्त सुनवाई में अपने तर्क रखे थे जिन्हें रिकार्ड में लिया गया था। सीएसएए को संयुक्त सुनवाई में अपने कानूनी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी।

सीएसएए ने अपने पत्र दिनांक 7 फरवरी 2015 में टिप्पणी करने की मांग की थी कि माननीय एकल न्यायाधीश ने सीएचपीटी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया है और माननीय खंड पीठ ने केवल राशि की वापिसी के लिए एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निदेश पर ही रोक लगाई थी। सीएसएए ने यह भी तर्क दिया था कि माननीय खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को खारिज नहीं किया था और सीएचपीटी अपने द्वारा एकतरफा निर्धारित प्रशुल्क का हवाला नहीं दे सकता और सीएचपीटी को नया प्रस्ताव दाखिल करना चाहिए। 6 अप्रैल 2015 को हुई संयुक्त सुनवाई में सीएसएए द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनी अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त टिप्पणियां दोबारा की गई थीं। सीएसएए ने अपने पत्र दिनांक 7 फरवरी 2015 और दूसरे पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2015 द्वारा संयुक्त सुनवाई में दिए गए तर्कों और टिप्पणियों को दोबारा दोहराया है। अपने पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2015 में, सीएसएए ने व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की थी। सीएसएए ने अपने पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2015 में कोई नए मुद्दे नहीं उठाए थे। उक्त पत्र में भी दूसरी सुनवाई की मांग करने वाली असाधारण परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। 6 अप्रैल 2015 को हुई संयुक्त सुनवाई में सीएसएए की उसके कानूनी अधिवक्ता के माध्यम से पहले ही सुनवाई हो चुकी है।

इस परिस्थिति में, मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ के न्यायनिर्णयों के सम्बंध में सीएसएए द्वारा दिए गए कुछ तर्कों पर मंथन करना उचित होगा। सीएसएए ने अपने पत्र दिनांक 07 फरवरी 2015 द्वारा और 06 अप्रैल 2015 को हुई संयुक्त सुनवाई कार्यवाहियों के दौरान तथा तत्पश्चात दूसरे पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2015 द्वारा बार–बार दोहराते हुए और जोरदार दावा करना कि माननीय एकल न्यायाधीश ने सीएचपीटी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया है और माननीय खंड पीठ ने केवल **अधिक** वसूल की गई राशि की वापिसी के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निदेश पर ही रोक लगाई थी, और मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने माननीय एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को खारिज नहीं किया था। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि इस प्राधिकरण को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णयों को प्रभावित नहीं करना है, चूंकि इस प्राधिकरण ने मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ के निदेश के अनुपालन में, 06 जुलाई 1994 से अगस्त 2001 तक की अवधि के लिए कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन की कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व लिया था। वैसे, यह प्राधिकरण माननीय एकल न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेशों को प्रभावित करने के सम्बंध में सीएसएए द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, अपितु मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय खंड पीठ के आदेश का अनुपालन करना है।

(viii) जब एमपीसीएल ने एक परेषिती के रूप में तर्क दिया था कि कंटेनर भंडारण प्रभार परेषिती पर प्रभारित नहीं किए जाने चाहिएं, जीएसएपीएल और केएसएपीएल ने तर्क दिया था कि आयातित कार्गो की डिलीवरी लेने में परेषितियों की चूक के लिए स्टीमर एजेंटों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। माननीय खंड पीठ द्वारा इस प्राधिकरण को भेजा गया मुद्दा 6 जुलाई 1994 से अगस्त 2001 तक की अवधि के लिए सीएचपीटी में कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन, यदि कोई हो, की सीमा तक सीमित है। अतः यह प्राधिकरण खंड पीठ के निर्णय से परे नहीं जा सकता।

(ix) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 61 का संदर्भ लेते हुए, जीएसएपीएल और केएसएपीएल ने यह तर्क देने की मांग की थी कि सीएचपीटी दो महीनों के समाप्त होने तक कोई प्रभार अधिरोपित नहीं कर सकता। उक्त अधिनियम की धारा 61 दो महीनों के बाद सामानों की बिक्री शासित करती है यदि दरें अथवा किराया का भुगतान नहीं किया जाता है अथवा मालभाड़ा के लिए पुनग्रहणाधिकार निष्पादित नहीं किया जाता है। अधिनियम के उक्त प्रावधान पत्तन न्यास को दो महीने बीतने तक प्रभारों की वसूली करने से नहीं रोकते हैं।

(x) जीएसपीएल ओर केएसपीएल ने राय व्यक्त की है कि भारत में परेषितियों को भारत के भीतर प्रदत्त सेवाओं के लिए अमेरिकी डॉलर में भंडारण प्रभार वसूल करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसाकि सीएचपीटी द्वारा बताया गया है, रुपए मूल्यवर्गित कंटेनर भंडारण प्रभारों का भारत सरकार के पत्र सं. 14012/16/99–1–पीजी दिनांक 03 अगस्त 1994 के निदेश से सीएचपीटी द्वारा लगाए गए डॉलर मूल्यवर्गित प्रभारों में परिवर्तन, जिसमें सरकार ने सभी महापत्तन न्यासों के अध्यक्षों को निदेश दिया गया था कि वे उस समय मौजूद भंडारण और कंटेनर प्रभार अमेरिकी डॉलर में अधिसूचित करें और 30 जून 1991 को यथा प्रचलित विनिमय दर के रूप में विचार करते हुए भारतीय रुपयों में वसूल करें। इस संदर्भ में यह है कि सीएचपीटी ने उपसमिति द्वारा यथा अनुशंसित और उसके बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित रुपए में मूल्यवर्गित कंटेनर भंडारण प्रभारों को डॉलर मूल्यवर्गित प्रभारों में परिवर्तित किया है। वास्तव में, कंटेनर भंडारण प्रभार (जैसाकि नोट के पूर्ववर्ती भाग में विस्तार से बताया गया है) दर्शाते हुए कुछ प्रमुख कंटेनर प्रहस्तन करने वाले महापत्तन न्यासों से प्राप्त दरमानों के सार से, यह देखा जा सकता है कि उन पत्तनों ने भी 1994 के बाद की अवधि के लिए अमेरिकी डॉलरों में कंटेनर भंडारण प्रभार मूल्यवर्गित किए हैं। जब तक अमेरिकी डॉलर में प्रभारों के भारतीय रुपए मूल्यवर्ग को कमजोर करते हुए विदेशी मुद्रा विनिमय में अस्थिरता है तब तक उपयोक्ताओं को वित्तीय मुश्किल हो सकती है।

(xi) (क) जैसाकि पहले बताया गया है, माननीय उच्च न्यायालय ने 06 जुलाई 1994 से 21 नवम्बर 2000 तक की अवधि के लिए कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए इस प्राधिकरण को निदेश दिया है। इस सम्बंध में, सीएचपीटी में कंटेनर भंडारण प्रभारों की तुलना दर्शाते हुए एक तालिका संदर्भ के लिए नीचे दी गई है:

कॉल.1	कॉल. 2	कॉल. 3			कॉल. 4			कॉल. 5			कॉल. 6		
क्र. सं.	विवरण	6 जुलाई 1994 से पूर्व (रु. में)			6 जुलाई 1994 को अधिसूचित (रु. में)			उपसमिति द्वारा अनुशंसित (रु. में)			कॉल. 5 में निर्धारित दरों पर रु. 21.05 प्रति अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर अंगीकृत करते हुए 19 जुलाई 1995 को अधिसूचित (अ.डॉ. में)		
		20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक
1	खाली कंटेनर												
	पहले 7 दिन	20	40	60	20	40	60	20	40	60	0.95	1.91	2.86
	8 – 14 दिन	40	75	120	500	1000	1500	100	200	300	4.76	9.52	14.28
	उसके बाद	125	250	375	1000	2000	3000	500	1000	1500	23.80	47.60	71.40
2	लदे हुए कंटेनर (7 दिनों के बाद निकासित)												
	पहले 3 दिन	निः शुल्क	निः शुल्क	निः शुल्क	निः शुल्क	निः शुल्क	निः शुल्क	निः शुल्क	निः शुल्क	निः शुल्क	निः शुल्क	निः शुल्क	निः शुल्क
	4 – 15 दिन	15	25	45	500	1000	1500	15	25	45	0.72	1.19	2.14
	16 – 30 दिन	65	125	195	2000	4000	6000	300	600	900	14.28	28.56	42.84
	उसके बाद	125	250	375	7000	14000	21000	1000	2000	3000	95.20*	190.40*	285.60*

* हालांकि सीएचपीटी ने अमेरिकी डॉलरों में मूल्यवर्गित उपसमिति द्वारा यथा अनुशंसित दरों हेतु मंत्रालय के अनुमोदन की मांग की थी, परन्तु सरकारने अनुमोदन प्रदान करते समय 30 दिनों के बाद लदे हुए कंटेनरों के लिए 20' हेतु रु. 2000/–, 40' हेतु रु. 4000/– और 40' से अधिक हेतु रु. 6000/– दरों पर विचार किया था और सीएचपीटी ने रु. 21.05 प्रति अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर अंगीकृत करते हुए तदनुसार डॉलर मूल्यवर्गित प्रशुल्क अधिसूचित किया था।

(ख) सीएचपीटी का प्रस्ताव नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	(अ.डॉ. में)		
		20'	**40'**	**40' से अधिक**
1	खाली कंटेनर			
	पहले 7 दिन	0.95	1.91	2.86
	8 – 14 दिन	4.76	9.52	14.28
	उसके बाद	23.80	47.60	71.40

2	लदे हुए कंटेनर (7 दिनों के बाद निकासित)			
	पहले 3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
	4 – 15 दिन	0.72	1.19	2.14
	16 – 30 दिन	14.28	28.56	42.84
	उसके बाद	95.20	190.40	285.60

(ग) वह अवधि जिसके लिए सीएचपीटी ने कंटेनर भंडारण प्रभारों के लिए अनुमोदन की मांग की थी वह 06 जुलाई 1994 से 21 नवम्बर 2000 है। पराशर्म की किए गए पक्षकारों ने भी 21 नवम्बर 2000 को समाप्त अवधि का उल्लेख किया है। संयोगवश, माननीय खंड पीठ ने अपने प्रभुत्व वाले अंतरिम आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2000 द्वारा पक्षकारों को निदेश दिया था कि वे 22 नवम्बर 2000 से संशोधित भंडारण प्रभार की अदायगी करे। यह दिखाई देता है कि सीएचपीटी ने 21 नवम्बर 2000 को समाप्त अवधि के लिए कंटेनर भंडारण प्रभारों हेतु अनुमोदन मांगा है क्योंकि खंड पीठ सीएचपीटी को 22 नवम्बर 2000 से संशोधित भंडारण प्रभार संग्रहीत करने की अनुमति पहले ही दे चुकी है। तथापि, माननीय खंड पीठ के अंतिम आदेश दिनांक 8 अक्तूबर 2014 में इस प्राधिकरण को निदेश दिया गया था कि 6 जुलाई 1994 से अगस्त 2001 तक की अवधि के लिए मुद्दे पर निर्णय करे। अतः, भंडारण प्रभारों के संशोधन का मुद्दा 6 जुलाई 1994 से अगस्त 2001 तक की अवधि के लिए सुविचारित किए जाने हेतु अपेक्षित है।

(xii) एमसीपीएल, जीएसएपीएल और केएसएपीएल ने राय व्यक्त की है कि दरें प्रदत्त सेवाओं के अनुरूप होनी चाहिएं। सेवाएं उपलब्ध करवाने की लागत प्रदत्त सेवाओं का माप होगी। कंटेनर भंडारण प्रभार उपसमिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 11 अगस्त 1994 में निर्धारित की गई थी और कोई अन्य गणनाएं/लागत ब्योरे उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। उपलब्ध करवाए गए किसी लागत ब्योरे की अनुपस्थिति में, लागत आधारित दृष्टिकोण अंगीकृत करना संभव नहीं पाया गया था।

(xiii) जहां तक इस कार्यवाही में लिए गए कंटेनर भंडारण प्रभारों के संशोधन की सीमा का संबंध है, इस मामले का निर्णायक पहलू यह है कि यह प्राधिकरण मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ के निदेश के अनुपालन में 06 जुलाई 1994 से अगस्त 2001 अवधि के लिए दरें निर्धारित करने का साहस कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, दावाकर्ता पक्षकारों ने अपनी परस्पर सहमति से इस प्राधिकरण के माध्यम से प्रश्नाधीन अवधि के लिए निर्धारित प्रभार प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। प्रश्नाधीन अवधि के लिए प्रशुल्क के निर्धारण की सुविधा के लिए, सीएचपीटी ने इस प्राधिकरण के समक्ष कोई लागत ब्योरे पेश नहीं किए थे। परामर्श किए गए पक्षकारों में से किसी ने भी सिवाय इसके कोई सुझाव नहीं दिया था कि 06 जुलाई 1994 दरों की यथास्थिति बनाए रखी जाए अथवा प्रासंगिक समय के दौरान प्रचलित अन्य महापत्तन न्यासों में प्रभारों का उल्लेख किया जाए।

संबद्ध अवधि के लिए प्रभारों के निर्धारण का दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि हालांकि सभी पक्षकार, सीएचपीटी अथवा उपयोक्ता इस समानुपात के लिए परस्पर सहमत हैं कि यह प्राधिकरण प्रश्नाधीन अवधि के लिए दरों का निर्णय कर सकता है, पक्षकारों में इसपर परस्पर सहमति नहीं थी कि किसी सीमा तक संशोधन की मांगी की जाए। सीएसएए दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि के लिए इच्छुक था, जबकि कई अन्य उपयोक्ताओं जैसे एमसीपीएल, जीएसएपीएल और केएसएपीएल का मत था कि दरें प्रदत्त सेवाओं के अनुरूप होनी चाहिएं। सीएचपीटी अपनी ओर से अपेक्षित वृद्धि के किसी ठोस प्रतिशत के साथ संयुक्त सुनवाई में नहीं आया था, परन्तु इस प्राधिकरण से पत्तन एवं ट्रेड के हितों के बीच संतुलन रखने का अनुरोध किया था।

इस प्रयोजन के लिए, इस प्राधिकरण ने वह तरीका देखा था जिसमें सीएचपीटी द्वारा गठित उपसमिति ने दरें निर्धारित की थीं, जैसाकि सुनिश्चित किया गया है कि उपसमिति अन्य महापत्तनों पर प्रचलित दरों को देखे। कुछ उपयोक्ताओं ने अन्य महापत्तनों में दरों पर विचार करने के लिए भी कहा है जो प्रश्नाधीन अवधि के दौरान प्रचलित थीं।

(xiv) उपसमिति की रिपोर्ट देखने पर, यह देखा गया है कि उपसमिति ने कंटेनर भंडारण प्रभारों की अनुशंसा करते समय मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) और कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के दरमानों का संदर्भ लिया है। एमसीपीएल ने भी प्रासंगिक अवधि के लिए अन्य महापत्तनों द्वारा वसूल किए गए भंडारण प्रभारों का उल्लेख भी दिया है। इस संदर्भ में, एमबीपीटी और केओपीटी सहित 1994 से 2000 तक की अवधि के दौरान प्रचलित कंटेनर भंडारण प्रभार दर्शाते हुए प्रमुख कंटेनर प्रहस्तनकर्ता महापत्तन न्यासों से दरमानों के सार प्राप्त किए गए थे। विभिन्न महापत्तन न्यासों से यथा प्राप्त कंटेनर भंडारण प्रभार भी थोड़े सहायक पाए गए हैं। हालांकि सीएचपीटी के मामले में उपसमिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 11 अगस्त 1994 में यथा निर्धारित आधार कंटेनर भंडारण प्रभार अन्य महापत्तन न्यासों में वसूल किए गए आधार कंटेनर भंडारण प्रभारों से काफी हद तक तुलनीय देखे गए हैं, एक प्रभार्य स्लैब से दूसरे प्रभार्य स्लैब तक वृद्धि की दर और प्रभार्य स्लैब अवधियां सभी महापत्तन न्यासों में एकसमान नहीं है।

(xv) जेएनपीटी के प्रमुख कंटेनर टर्मिनल में, प्रथम प्रभार्य स्लैब से दूसरे प्रभार्य स्लैब तक वृद्धि की दर 100 प्रतिशत थी। इस प्रकार, दूसरे प्रभार्य स्लैब से तीसरे प्रभार्य स्लैब तक वृद्धि की दर भी 100 प्रतिशत देखी गई है। सीओपीटी में भी प्रासंगिक समय बिन्दु के दौरान यही स्थिति प्रचलित थी।

सीएचपीटी के मामले में, खाली कंटेनरों के मामले में प्रथम प्रभार्य स्लैब से दूसरे प्रभार्य स्लैब तक वृद्धि की दर 500 प्रतिशत थी और दूसरे स्लैब से तीसरे प्रभार्य स्लैब तक वृद्धि भी 500 प्रतिशत थी। यदि लदे हुए कंटेनरों के मामले में वृद्धि की दर देखी जाती है तो प्रथम प्रभार्य स्लैब से दूसरे प्रभार्य स्लैब तक वृद्धि लगभग 200 प्रतिशत थी। दूसरे प्रभार्य स्लैब के संदर्भ में तीसरे स्लैब में वृद्धि लगभग 670 प्रतिशत थी। इस प्रकार, वृद्धि की दर अन्य महापत्तन न्यासों की तुलना में अधिक है। एमसीपीएल, जीएसएपीएल और केएसएपीएल द्वारा सही उल्लेख किया गया है कि सीएचपीटी में प्रभार भिन्न–भिन्न थे जो उपर्युक्त अन्य महापत्तन न्यासों में संग्रहीत किए गए थे। इसलिए, सीएचपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा संकल्प सं. 17 अगस्त 1994 के 112 और 113 द्वारा अनुमोदित कंटेनर भंडारण प्रभारों में संशोधन किए जाने का मामला है। केपीटी ने पत्तन एवं पक्षकारों के हितों के बीच संतुलन रखने का सुझाव दिया था जैसाकि पत्तन द्वारा संयुक्त सुनवाई में निवेदन किया गया था।

(xvi) एमसीपीएल ने तर्क प्रस्तुत किया है कि दरें जो 6 जुलाई 1994 से पहले प्रचलित थीं अवश्य निर्धारित की जानी चाहिएं। तथापि, विवादित अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त 2000 दरों में उचित वृद्धि निर्धारित करने के लिए सीएचपीटी के अधिकार के प्रतिकूल नहीं हैं, जैसाकि उक्त आदेश में दर्ज किया गया है। प्रश्नाधीन अवधि के लिए कंटेनर भंडारण प्रभारों की वृद्धि के लिए इसके प्रस्ताव के अनुसार सीएचपीटी द्वारा दाखिल किएगए बोर्ड संकल्प सं. 112 और 113 दिनांक 17 अगस्त 1994 इस प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं। सीएसएए जो संयुक्त सुनवाई में उपस्थित था, इस मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अनुरोध किया था और वर्ष 1994 में प्रचलित कंटेनर भंडारण प्रभारों में 10 प्रतिशत वृद्धि के लिए सहमत है। 10 प्रतिशत वृद्धि पत्तन और पक्षकारों के हित के बीच संतुलन बनाने वाला आंकड़ा नहीं है।

(xvii) जीएसएपीएल और केएसएपीएल ने सीएचपीटी द्वारा मांग की गई कंटेनर भंडारण प्रभारों में वृद्धि का विरोध करते हुए कहा था कि पोत स्वामी जिन्हें स्टीमर एजेंट सेवा प्रदत्त करते हैं वे भारत से बाहर हैं और स्टीमर एजेंटों को जानकारी नहीं है कि क्या पोत स्वामी अभी भी ट्रेड हैं। जीएसएपीएल और केएसएपीएल ने दावा किया है कि यह उनके लिए संभव नहीं है कि पोत स्वामी 21 वर्ष पहले प्रदत्त सेवाओं के लिए अलग–अलग राशि का दावा करें। स्टीमर एजेंटों को भली भांति ज्ञात है कि सीएचपीटी ने माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा 28 अगस्त 2000 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए खंड पीठ के समक्ष वर्ष 2000 में अपील की थी। उन्हें यह भी जानकारी है कि खंड पीठ का न्यायनिर्णय प्रतीक्षित था। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि स्टीमर एजेंटों को सीएचपीटी को देय वित्तीय दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए यदि सीएचपीटी द्वारा दाखिल की गई अपील सफल रहती है। 22 नवम्बर 2000 से संशोधित प्रशुल्क के अनुसार दरों की अदायगी करने के लिए पक्षकारों से अपेक्षा करते हुए माननीय खंड पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2000 स्टीमर एजेंटों के लिए पर्याप्त संकेत है कि वे अपने पोत स्वामियों को सचेत करें कि 15 साल पहले 6 जुलाई 1994 से 21 नवम्बर 2000 तक की अवधि के लिए वित्तीय विवीक्षा को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अतः, पोत एजेंट अब इस तर्क के साथ नहीं आ सकते कि वे पोत स्वामियों से आन्तरिक राशि का दावा करने के लिए पोत स्वामियों का पता नहीं लगा सकते।

(xviii) सीएचपीटी के दरमानों का 1992 संस्करण (6 जुलाई 1994 से पहले) दो अनुसूचियों में लदे हुए कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभार निर्धारित करता है, एक 7 दिनों के भीतर निकासित कंटेनरों के लिए और दूसरी अनुसूची 7 दिनों के बाद निकासित कंटेनरों के लिए। दो अनुसूचियों ने चिह्नित दरें निर्धारित की थीं, अन्तर केवल भंडारण प्रभारों की शुरूआत की तारीख ही है। भंडारण प्रभारों में वृद्धि करते समय, 7 दिनों के भीतर कंटेनर निकासित करने से संबंधित अनुसूची अछूती रह गई थी और केवल 7 दिनों के बाद निकासित कंटेनरों से संबंधित प्रभारों वाली अनुसूची ही संशोधित की गई थी। पक्षकारों के पास हमेशा ही यह विकल्प था कि वे 7 दिनों के भीतर कंटेनर निकासी करें ओर 7 दिनों के बाद निकासित कंटेनरों के लिए निर्धारित उच्चतर प्रभारों की अनुसूची के परिदृश्य में आने से बचें। यदि पक्षकारों ने कम लागत विकल्प का चयन नहीं किया था तो उनके लिए यह विकल्प उपलब्ध था कि वे उच्चतर लागत विकल्प के बोझ और कम से कम हिस्सेदारी बोझ को वहन करें।

सीएचपीटी ने निवेदन किया है कि कंटेनर भंडारण प्रभार इस आशय के साथ संशोधित किए गए थे कि जो कंटेनर उचित समयावधि के भीतर निकासित नहीं होते हैं उन्हें बाहर किया जा सके और यदि ऐसी वृद्धि नहीं की जाती है तो अंतरण में संचयित कंटेनर कंटेनर टर्मिनल की कार्यप्रणाली को बाधित करेंगे और सीएचपीटी का समग्र हित प्रभावित होगा। प्रभारों की वृद्धि हेतु प्रमुख उद्देश्य चूककर्ताओं को अंतरण क्षेत्र उनके कंटेनरों के लिए भंडारगृह बनने से रोकना था ना कि उन सही लोगों के लिए जो 7 दिनों की विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर कंटेनर निकासित कर लेते हैं। कंटेनर भंडारण प्रभारों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन करने हेतु सीएचपीटी का उद्देश्य लम्बे समय से लंबित कंटेनरों से कंटेनर टर्मिनल को भीड़ मुक्त करना है। लंबे समय से लंबित कंटेनर आयात कंटेनरों के लिए अपर्याप्त स्लॉट सृजित करते हैं ओर सीएचपीटी को स्थानांतरण क्रेनों द्वारा अनुत्पादक फेरे लगाने पड़ते थे। यह भी स्वीकार करने की आवश्यकता है कि उपयोक्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि यदि वे भंडारण प्रभारों के भुगतान से बचना चाहते हैं तो निरीक्षण एजेंसियों और सीमाशुल्क प्राधिकारियों की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निःशुल्क दिवसों के भीतर कंटेनर निकासित कर लें। यह प्राधिकरण कंटेनर भंडारण प्रभारों में वृद्धि के लिए मौजूदा कार्यवाही में सीएचपीटी द्वारा बताए गए उपर्युक्त कारणों पर विचार करने के लिए प्रवृत्त है।

(xix) पत्तन और पक्षकारों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सीएचपीटी के अनुरोध के मद्देनजर, लम्बे समय से लंबित मामले को बन्द करने के लिए प्रभारों में वृद्धि स्वीकार करने के लिए सीएसएए की इच्छा, और इसे भी ध्यान में रखते हुए कि सीएचपीटी ने 22 नवम्बर 200 से माननीय खंड पीठ के अंतरिम आदेश का अनुसरण करते हुए संकल्प सं. 112 और 113 दिनांक 17 अगस्त 1994 में इसके बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कंटेनर भंडारण प्रभार वसूल किए हैं, (7 दिनों के बाद निकासित) खाली कंटेनरों और लदे कंटेनरों के लिए सीएचपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अपने संकल्प सं. 112 और 113 दिनांक 17 अगस्त 1994 द्वारा अनुमोदित दरों के 50 प्रतिशत पर 6 जुलाई 1994 से 21 नवम्बर 2000 तक की अवधि के लिए भंडारण प्रभार निर्धारित करना अनुचित नहीं होगा।

सीएचपीटी और जेएनपीटी में प्रभार्य स्लैब लदे हुए कंटेनरों के लिए सांकेतिक हैं। यदि सीएचपीटी में लदे हुए कंटेनरों के लिए दरों के 50 प्रतिशत की जेएनपीटी में प्रासंगिक समय पर प्रचलित लदे हुए कंटेनरों हेतु दरों के बीच तुलना की जाए तो यह देखा जा सकता है कि जेएनपीटी में 04 से 15 दिनों की प्रथम प्रभार्य अवधि के लिए दरें सीएचपीटी में मात्र 0.36 अमेरिकी डॉलर प्रति टीईयू की तुलना में 3.25 अमेरिकी डॉलर प्रति टीईयू के उच्चतर स्तर पर थीं। 16 से 30 दिनों तक के अगले प्रभार्य स्लैब के सम्बंध में, न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित दर के 50 प्रतिशत पर सीएचपीटी में दर

7.140 अमेरिकी डॉलर प्रति टीईयू होगी जोकि जेएनपीटी में उस समय प्रचलित 6.50 अमेरिकी डॉलर की दर से तुलनीय है। यह भी उल्लेख करने की अपेक्षा की गई है कि 30 दिनों के बाद स्लैब अवधि के लिए दर के 50 प्रतिशत पर जोकि 47.60 डॉलर प्रति टीईयू है 30 दिनों के बाद की अवधि के लिए जेएनपीटी में 13 अमेरिकी डॉलर प्रति टीईयू की तुलना में बहुत ज्यादा है। पक्षकारों, जिन्होंने 30 दिनों के भीतर कंटेनर निकासित कर लिए थे, हेतु रोकड़ निर्गम उस रोकड़ निर्गम से तुलनीय है जो वे प्रासंगिक समय के दौरान जेएनपीटी में कंटेनर निकासित करते हैं।

चूंकि माननीय खंड पीठ ने इस प्राधिकरण को निदेश दिया है कि अगस्त 2001 तक की अवधि के लिए प्रभारों के संशोधन पर निर्णय ले, इसलिए यह जरूरी है कि 22 नवम्बर 2000 से अगस्त 2000 तक अवधि हेतु प्रभारों के संशोधन का निर्णय लिया जाए। माननीय खंड पीठ ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2000 द्वारा पक्षकारों को यह निदेश दिया था कि वे संशोधित दरों के अनुसार प्रभारों की अदायगी करें। कार्यवाहियों में परामर्श किए गए पक्षकारों ने 22 नवम्बर 2000 से अवधि हेतु संशोधित दरों को आपत्ति नहीं उठाई थी। ऐसी स्थिति में, यह प्राधिकरण 22 नवम्बर 2000 से अगस्त 2001 तक की अवधि के लिए यह आदेश करने के लिए प्रवृत्त है कि सीएचपीटी द्वारा अपने संकल्प सं. 112 और 113 द्वारा अनुमोदित दरें लागू होंगी।

(xx) निर्धारित 2005 प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 3.2.8 ने प्रशुल्क आदेश लागू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों का प्रमुख समय निर्धारित किया था। दूसरे शब्दों में, 30 दिनों का प्रमुख समय एक नोटिस अवधि है। इसलिए, यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि संबद्ध पक्षकारों को भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर संशोधित प्रभार अदा करने होंगे। भुगतानों में विलंब पर ब्याज की दर सीएचपीटी के मौजूदा दरमानों के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा शासित की जाएगी।

(xxi) इस मामले की कार्यवाही के दौरान, सीएचपीटी ने पत्तन द्वारा प्रस्तावित दरों पर रु. 116.50 करोड़ (पूर्णांकित) पर 6 जुलाई 1994 से 20 नवम्बर 2000 अवधि के लिए पक्षकारों द्वारा देय बकाया देयताओं की सूची भेजी थी। यह राशि पक्षकारों की जानकारी में है क्योंकि यह सूची उनके साथ भी सांझा की गई थी। दरों के 50 प्रतिशत पर, देय राशि पूरी तरह से रु. 58.25 करोड़ परिगणित होगी, सीएचपीटी द्वारा की गई गणनों की सटीकता के अधीन। यदि धन के समय मूल्य को नवम्बर 2000 से नवम्बर 2015 तक परंपरागत 8 प्रतिशत छूट कारक पर लेखा में लिया जाता है तो रु. 58. 25 का वर्तमान मूल्य (पीवी) केवल रु. 18.36 करोड़ (अनुबंध–I) परिगणित होता है। इसके अलावा, सीएचपीटी को पिछले 15 वर्षों के दौरान रु. 58. 25 करोड़ की इस राशि पर ब्याज का नुकसान हुआ है।

13. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, निम्नलिखित कंटेनर भंडारण प्रभार अनुमोदित किए गए हैं:

(क). 6 जुलाई 1994 से 21 नवम्बर 2000 तक अवधि के लिए:

क्र.सं.	**विवरण**	**कंटेनर भंडारण प्रभार रु. में प्रतिदिन अथवा उसका भाग**		
		20’	40’	**40’ से अधिक**
1	खाली कंटेनर			
	पहले 7 दिन	0.475	0.955	1.430
	8 – 14 दिन	2.380	4.760	7.140
	उसके बाद	11.900	23.800	35.700
2	लदे हुए कंटेनर (7 दिनों के बाद निकासित)			
	पहले 3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
	4 – 15 दिन	0.360	0.595	1.070
	16 – 30 दिन	7.140	14.280	21.420
	उसके बाद	47.600	95.200	142.800

टिप्पणी: संशोधित प्रभार भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान किए जाएंगे। भुगतान में विलंब, यदि कोई हो, पर ब्याज की दर सीएचपीटी के मौजूदा दरमानों के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार होगी।

(ख) 22 नवम्बर 2000 से अगस्त 2001 तक अवधि के लिए:

क्र.सं.	विवरण	(अ.डा. में)		
		20'	**40'**	**40' से अधिक**
1	**खाली कंटेनर**			
	पहले 7 दिन	0.95	1.91	2.86
	8 – 14 दिन	4.76	9.52	14.28
	उसके बाद	23.80	47.60	71.40
2	**लदे हुए कंटेनर (7 दिनों के बाद निकासित)**			
	पहले 3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
	4 – 15 दिन	0.72	1.19	2.14
	16 – 30 दिन	14.28	28.56	42.84
	उसके बाद	95.20*	190.40*	285.60*

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन.–III/4/असा./143/15/362]

अनुबंध -I

सीएचपीटी द्वारा प्राप्ति–योग्य भंडारण प्रभारों का निवल वर्तमान मूल्य

(i) छूट कारक 8.0%

रु. 1 का एनपीवी	वर्ष के अंत में	नवम्बर 2000
0.92593	प्रथम वर्ष	नवम्बर 2001
0.85734	दूसरा वर्ष	नवम्बर 2002
0.79383	तीसरा वर्ष	नवम्बर 2003
0.73503	चौथा वर्ष	नवम्बर 2004
0.68058	पांचवा वर्ष	नवम्बर 2005
0.63017	छठा वर्ष	नवम्बर 2006
0.58349	सातवां वर्ष	नवम्बर 2007
0.54027	आठवां वर्ष	नवम्बर 2008
0.50025	नौंवा वर्ष	नवम्बर 2009
0.46319	दसवां वर्ष	नवम्बर 2010
0.42888	ग्यारहवां वर्ष	नवम्बर 2011
0.39711	बारहवां वर्ष	नवम्बर 2012
0.36770	तेरहवां वर्ष	नवम्बर 2013
0.34046	चौदहवां वर्ष	नवम्बर 2014

0.31524 पन्द्रहवां वर्ष **नवम्बर 2015**

नवम्बर 2000 में प्राप्ति–योग्य रु0 582467657 का निवल वर्तमान मूल्य यदि नवम्बर 2015 में प्राप्त होता है तो –

(ii) प्राप्ति–योग्य भंडारण प्रभार	रु.	582467657
(iii) 8 प्रतिशत छूट कारक पर नवम्बर 2015 में एनपीवी (ii *0.31524)		183617104

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd February, 2016

No. TAMP/5/2015-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in compliance of the Order dated 08 October 2014 passed by the Hon'ble High Court of Madras, the Tariff Authority for Major Ports hereby decides the issue of extent of revision of Container storage charges at the Chennai Port Trust (CHPT) for the period from 6 July 1994 to August 2001, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/5/2015-CHPT

The Chennai Port Trust - - - Applicant

QUORUM

(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of January 2016)

This case relates to the issue of extent of revision of Container storage charges, if any, at Chennai Port Trust (CHPT) for the period from 6 July 1994 to August 2001 referred by the Hon'ble High Court of Judicature at Madras to this Authority.

2.1. The CHPT *vide* its letter dated 22 December 2014 has communicated about revision of container storage charges from Rupee denomination to US Dollar denomination with reference to an Order dated 8 October 2014 passed by Hon'ble High Court of Madras in WA No. 1746 & 1747 of 2000. The CHPT has furnished a copy of the High Court Order dated 8 October 2014. The main points made by the CHPT in its communication dated 22 December 2014 are summarized below :

(i) The Hon'ble Madras High Court vide its Order dated 8 October 2014 has disposed of the Writ Appeal No. 1746 and 1747 of 2000 filed by the CHPT against the Madras Steamer Agents' Association and other related Writ Appeals filed by various firms, with the following direction:

"Learned Counsel for parties have obtained instructions and state that they would follow the course of action as suggested in our last order 17.09.2014. The issue of extent of revision of charges, if any is referred to the Statutory Committee under Chapter V-A of the Major Port Trusts Act, 1963, by consent, though of course, this provision was introduced subsequently. Thus it is for the Committee as an authority agreed to by the learned Counsel for parties, to decide the issue of revision of charges.

The authority will endeavor to complete the task within a period of six months from today after putting parties to notice. This is qua the period from 06.07.1994 to August 2001."

(ii) In this connection, the summarised position of the case as given by CHPT in its letter dated 22 December 2014 are given below:

(a) As per the Scale of Rates of CHPT, the container storage charges were levied in Indian Rupees and collected in Indian Rupees since the commencement of Container terminal operations in CHPT.

(b) During the year 1994, it was proposed to revise the Container Storage Charges from Indian Rupee denomination to US Dollar denomination. Accordingly, a Correction Slip No. 9 was issued to the Madras Port Trust (MPT) Scale of Rates 1992. As per the Correction Slip, the Port shall levy the container storage charges in US$ buying rate and collect the dues in Indian rupees as per the exchange rate prevailing on the date of arrival of the container vessel, with effect from 6 July 1994. The above said correction slip was published on 19 July 1995 in the Gazette of Tamil Nadu. The CHPT has furnished a copy of the said Notification.

(c) The Madras Steamer Agents (MSA) challenged the Notification of the Port for levying the container storage in US$ by filing Writ Petitions before the Hon'ble High Court and got an injunction. A counter affidavit was filed by the CHPT on 29 September 1997. Thereafter, the case was heard and the Hon'ble Single Judge passed an Order on 28 August 2000 quashing the Notification of the CHPT. A copy of the Order of the Single Judge dated 28 August 2000 is furnished by CHPT.

(d) Aggrieved by this, Writ Appeal No. 1746 and 1747 of 2000 was filed by the CHPT before the Division Bench to set aside the Court Order dated 28 August 2000. The Division Bench passed an Interim Order to levy the charges in US $ from 22 November 2000 onwards. A copy of the Interim Order of the Division Bench is also furnished by CHPT. Accordingly, the container storage charges were collected in US Dollar terms from 22 November 2000.

The interim Order dated 22 November 2000 passed by the Division Bench (as referred at para 2.1 (ii) (d)) is reproduced below:

"Petition praying that the High Court will be pleased to stay the operation of the order dated 28.8.2000 made in W.P.Nos.11747 of 1994 & 5806 of 1997 respectively on the file of the Hon'ble High Court (in C.M.P. Nos.15038 & 15040/2000) pending W.A.Nos.1746 & 1747 of 2000 Appeal under Clause 15 of the letters patent against the order of the Honourable Mr. Justice P. Shanmugam, dated 28.08.2000 and made in the exercise of the Special Original Jurisdiction of the High Court in W.P.Nos.11747 of 1994 & 5806 of 1997 respectively.

Petition on being called to-day and upon hearing counsel, the Court has ORDERED as follows:

"Heard the Cavsator.

Notice of motion returnable by four weeks. Meanwhile, the order of the learned single judge is stayed directing refund of the amount, and collecting the arrears as per the new tariff rates are concerned. However, the respondent will pay the rates as per the revised tariff from today onwards".

(e) With regard to the container storage charges payable for the period from 6 July 1994 to 21 November 2000, the matter was pending before the Hon'ble Madras High Court. The difference of container storage charges recoverable from various firms (141 firms) for the period from July 1994 to November 2000 is around `116.50 crores. [The CHPT has furnished the firm wise breakup of difference of amount payable].

(f) In the meantime, on 30 November 2001, the Container Terminal was handed over to M/s Chennai Container Terminal Private Ltd (CCTPL) for handling of containers on long term lease for 30 years under privatization agreement. After the handing over of Container Terminal to CCTPL, some of the firms requested for refund of the security deposit and excess amount paid by them. Based on the above request, Chairman's sanction has been obtained on 7 August 2004 and 26 June 2008, to withhold the refunds of the firms which handled containers from July 1994 to November 2000, since the case relating to Container Storage Charges was pending in the Hon'ble High Court of Madras.

(g) Under the above circumstances, the Writ Appeal No. 1746 and 1747 of 2000 filed by the CHPT, were listed for final hearing on 17 September 2014, along with other petitions/ appeals filed by various other firms on the above subject. In the hearing held on 17 September 2014, the Court directed the Counsel for both the parties to obtain instruction whether the entire case (i.e. W.A. 1746 and 1747 of 2000 filed by CHPT against the Steamer Agents Association regarding the Container Storage Charges) could be sent to TAMP for adjudication.

(h) Thereafter, the case was again heard on 8 October 2014, wherein, the Hon'ble High Court disposed of the Writ Appeals filed by CHPT along with related Petitions / Appeals filed by various firms.

2.2. In this backdrop, the CHPT in its letter has requested this Authority to take up the case and pass necessary order for recovery of the Container storage charges for the period from 6.7.1994 to 21.11.2000, as per the Correction Slip No 9 dated 6.7.1994 issued by the CHPT.

2.3. The Hon'ble Single Judge had considered the following two questions in the Lordship's Order dated 28 August 2000:

(i) What is the nature of levy and who is liable and

(ii) Whether the levy is reasonable

The issue referred by the Hon'ble Division Bench of the High Court of Madras to this Authority is to decide the "extent of revision of charges, if any". Therefore, the relevant extract of the Order dated 28 August 2000 passed by Hon'ble Single Judge (as referred at para 2.1 (ii) (c) above), relating to the second question "whether the levy is reasonable" considered by the Hon'ble Single Judge, taken into account only for the purpose of understanding the perspective of the issue referred by the Hon'ble Division Bench, will be sent separately to relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

3. Since the Division Bench of the Hon'ble High Court of Madras have directed this Authority to complete the task after putting parties to notice, the copy of the CHPT letter dated 22 December 2014 alongwith the enclosures was circulated to the 19 number of parties, as listed in the Order dated 8 October 2014 passed by the Hon'ble High Court of Madras, for their comments. Further, since the Ministry of Shipping (MOS) was also seen to be one of the Respondents in the Writ Appeal filed by the CHPT, a copy of the CHPT communication dated 22 December 2014 alongwith enclosures was also sent to MOS for their comments. Out of the 20 parties, we have received comments from some parties. These comments were forwarded to the CHPT as feedback information. After a reminder, the CHPT vide its email dated 31 March 2015 has responded.

4.1. As stated earlier, the copy of the CHPT Communication dated 22 December 2014 was forwarded to 19 parties as listed in the Order of the Hon'ble High Court dated 8 October 2014. In this connection, the communication sent to M/s. India Trident Maritime Pvt Ltd, M/s. W.W. Shipping & Forwarding Pvt Ltd, M/s. United Liner Agencies (India) Pvt Ltd, M/s. Vijaya Industrial Products (P) Ltd., Cuddalore, M/s. Parekh Marine Agencies Pvt. Ltd., Chennai, M/s. Satya Sai Surgicals Ltd., Bangalore, M/s Gaurav Impex, New Delhi, M/s Sri Sachithananthan Plastics, Chennai, M/s Sumangal Overseas Ltd, M/s Webro Exports Ltd, Bangalore, M/s Metalico Impex, Delhi, and Simpex Trading Co. (P) Ltd have been returned to us by the postal department due to the change in their address. In this regard, it is noteworthy that the addresses on which the subject communication was sent to the said parties were the addresses as reflected in the copy of the Order dated 8 October 2014 passed by the Hon'ble High Court of Madras forwarded to us by CHPT vide its letter dated 22 December 2014.

4.2 Accordingly, the CHPT was requested vide our letter dated 22 January 2015 and 30 January 2015 to furnish the latest addresses of the above mentioned parties at the earliest in order to enable us to forward the copy of the CHPT communication to these parties again. After reminders, the CHPT vide its letter dated 20 February 2015 has furnished the updated address of only two parties i.e. M/s. United Liner Agencies (India) Pvt Ltd and M/s. Parekh Marine Agencies Pvt. Ltd. With regard to others, the CHPT has said that the addresses as per their records are also found to be the same addresses as given in WA 1746 & 1747 of 2000. Accordingly, we have vide our letter dated 24 February 2015 forwarded a copy of the CHPT communication dated 22 December 2014 and 8 February 2015 to the United Liner Agencies (India) Pvt. Ltd. and Parekh Marine Agencies Pvt. Ltd for their comments. We have not received the comments from these two parties, till the case was taken up for finalisation.

5. Based on preliminary scrutiny of the communication received from CHPT, the CHPT was requested to furnish the following documents while acknowledging its communication, vide our letter dated 16 January 2015. The CHPT vide its letter dated 8 February 2015 has responded. The details sought by us and the response of CHPT thereon are summarized below:

Sr. No.	Information sought by us	Reply of CHPT
(a)	**With reference to the notification of CHPT dated 6 July 1994**	

<table>
<tr>
<td>(i)</td>
<td>Copy of the Scale of Rates of CHPT covering the Container Storage Charges that existed prior to 6 July 1994.</td>
<td>(From the copy of the SOR furnished by the CHPT, the relevant portion (Scale B, Chapter II A of 1992 edition) covering the Container Storage Charges that existed prior to 6 July 1994 is given below:
(a) Empty Containers:
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Rate per Container</td></tr>
<tr><td>Sr. No.</td><td>Classification</td><td>Upto 20 feet in length (`)</td><td>Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)</td><td>Above 40 feet in length (`)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>For the first 7 days</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>From 8th day to 14th day</td><td>40</td><td>75</td><td>120</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Thereafter</td><td>125</td><td>250</td><td>375</td></tr>
</table>
(b) Loaded Containers:
(i) Imports:
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Rate per Container</td></tr>
<tr><td>Sr. No.</td><td>Classification</td><td>Upto 20 feet in length (`)</td><td>Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)</td><td>Above 40 feet in length (`)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>For the first 3 days</td><td>Free</td><td>Free</td><td>Free</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Next 4 days to 15 days</td><td>15</td><td>25</td><td>45</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Next 16 to 30 days</td><td>65</td><td>125</td><td>195</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>Thereafter</td><td>125</td><td>250</td><td>375</td></tr>
</table>
(ii) Exports:
From the date following the date of admission by Rail or road or from the date following the date of stuffing of exports to the date of shipment.
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Rate per Container</td></tr>
<tr><td>Sr. No.</td><td>Classification</td><td>Upto 20 feet in length (`)</td><td>Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)</td><td>Above 40 feet in length (`)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>For the first 3 days</td><td>Free</td><td>Free</td><td>Free</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Next 4 days to 30 days</td><td>15</td><td>25</td><td>45</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Next 31 to 45 days</td><td>25</td><td>50</td><td>75</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>Thereafter</td><td>125</td><td>250</td><td>375</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii)</td>
<td>Proposal of CHPT submitted by it before its Board for approval of revised Container Storage Charges.</td>
<td>The Board during its Meeting held on 29.10.93, approved the revised container storage charges vide B.R. No.146. A copy of the proposal submitted to the Board for approval of the Container storage charges is furnished by</td>
</tr>
</table>

the CHPT.

From the copy of the Agenda furnished by CHPT, the following position is seen :

a. Incase of Empty containers

- Existing

Sr. No.	Description	Upto 20 feet in length (`)	Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)	Above 40 feet in length (`)
(i)	For the first 7 days	20	40	60
(ii)	From 8th day to 14th days	40	75	120
(iii)	Thereafter	125	250	375

- Proposed

Sr. No.	Description	Upto 20 feet in length (`)	Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)	Above 40 feet in length (`)
(i)	For the first 3 days	20	40	60
(ii)	From 4th day to 7th days	100	200	300
(iii)	From 8th day to 15th days	500	1000	1500
(iv)	Thereafter	1000	2000	3000

b. Incase of Loaded FCL Import Containers

- Existing

Sr. No.	Description	Upto 20 feet in length (`)	Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)	Above 40 feet in length (`)
(i)	For the first 3 days	Free	Free	Free
(ii)	From 4th day to 15th days	15	25	45
(iii)	From 16th day to 30th days	65	125	195
(iv)	Thereafter	125	250	375

- Proposed

Sr. No.	Description	Upto 20 feet in length	Above 20 feet and upto 40	Above 40 feet in length (`)

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>(`)</td><td>feet in length (`)</td><td></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>For the first 3 days</td><td>Free</td><td>Free</td><td>Free</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>From 4th day to 15th days</td><td>500</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>From 16th day to 30th days</td><td>2000</td><td>4000</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>Thereafter</td><td>7000</td><td>14000</td><td>21000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Copy of the proceeding, if any, conducted by the CHPT with the concerned users before revising the Container Storage Charges.</td><td>The Trade has been involved in various discussions with the Trust for a year on the urgent need to keep the Container Terminal free from congestion to receive vessels. After exhaustive discussions only, the Board comprising of the representatives from the Trade, in the meeting held on 26.10.93, approved the increased rates vide B. R. No.146.
In this regard, the CHPT has drawn reference to para 7 of the Counter Afflidavit filed by it in WP no. 11747. The relevant portion of para 7 of the Counter Affidavit is reproduced below:
“In the circumstances, the enhancement made in respect of empty containers as well as loaded containers presuming the existing rates for FCI containers destuffed or cleared within seven days and LCL containers for imports and the loaded containers for export. Before the Board considering and deciding the enhancement, the trade was involved in various discussions on the urgent need to keep the container terminal free from congestion. The writ petitioner themselves have admitted that 2000 containers are lying in the port pending clearance. After exhaustive discussions, the Board comprising of the representations of the Trade and all other interests approved the increase at its meeting held on 26.10.1993. The revised rates was sanctioned by the Central Government and became effective on publication in the official Gazette on 6.07.1994. The petitioner has filed the above writ petitions challenging the notification enhancing the rates in respect of empty containers as well as loaded containers. It is respectfully submitted that the enhancement was resorted to reduce congestion in the Container Terminal and in the national, public and port user’s interest. It is submitted that the amendment of the rates is legal, valid and within power vested upon the Board and the Government under the statute. It is respectfully submitted that none of the allegations and contentions raised in the writ petitions is tenable. It is reiterated that the Container transport is intended to help fast transportations. The Containers moved within seven days do not face the liability of enhancement. It is only the defaulters by whose default the functioning of the conditioner terminal is jeopardized, would have to face the increase dependent on the extent of delay. This would not affect the genuine interests of those whose containers move out within the allowed free periods. As the liability of increased rate is only on the defaulters the allegation that the increase is arbitrary or unreasonable is untenable.”</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>Copy of the Minutes of the Board of Trustees approving the proposal of CHPT for revision of</td><td>A copy of the Minutes of the meeting held on 29.10.93 is furnished by the CHPT, and as mentioned in the minutes</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Container Storage Charges.</td><td>of Board.

“Read the Chairman’s note dated the 27th October 1993, proposing amendments to the Scale of Rates, enhancing the rate for storage charges for empty containers and FCL Containers and to levy a new rate of charges for shutout containers to bring about a sense of urgency on the part of container operators, to take special steps to remove the containers in the shortest possible time from the container terminal, as proposed in paras 4, 5, and 6 of the Chairman’s note.

Resolved, after discussion, to approve of the amendments to the Trust’s Scale of Rates enhancing the rates of storage charges for empty containers and FCL containers and to levy of new rate of charges for shut out containers.”</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>Copy of the proposal of the CHPT sent to the concerned Ministry in the Government of India for approval of the proposal of CHPT for revision of Container Storage Charges.</td><td rowspan="2">After approval of the Board, the proposal was forwarded to the Ministry for approval vide letter dated 29.1.94. The Ministry vide its letter No.PR-14012/9/94-PG dated 6/9th May 1994 has sanctioned the revised rates, a copy of which is furnished by the CHPT.</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>Copy of the approval of the concerned Ministry in the Government of India conveyed for revision of Container Storage Charges.</td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>Copy of the Gazette Notification.</td><td>A copy of the Gazette Notification dated 6.7.94 is furnished by the CHPT. The revised container storage charges is given below:
- Empty Containers
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Rate per Container per day or part there of</td></tr>
<tr><td>Sr. No.</td><td>Classification</td><td>Upto 20 feet in length(`)</td><td>Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)</td><td>Above 40 feet in length (`)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>For the first 7 days</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Next 8th to 15th days</td><td>500</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Thereafter</td><td>1000</td><td>2000</td><td>3000</td></tr>
</table>
- Loaded FCL Import Containers (cleared after 7 days)
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Rate per Container per day or part there of</td></tr>
<tr><td>Sr. No.</td><td>Classification</td><td>Upto 20 feet in length (`)</td><td>Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)</td><td>Above 40 feet in length (`)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>For the first 3 days</td><td>Free</td><td>Free</td><td>Free</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Next 4th to 15th days</td><td>500</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>From 16th to 30th days</td><td>2000</td><td>4000</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Thereafter</td><td>7000</td><td>14000</td><td>21000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>(b)</td><td>With reference to the notification of CHPT dated 19 July 1995</td><td></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Copy of the proceeding, if any, conducted by the CHPT with the concerned users/organization bodies before revising the Container Storage Charges.</td><td>The Board in its meeting held on 27 July 1994 constituted a Sub Committee to go into the question of hike in the rates of container storage charges, comprising of the Trustees, Representatives of User Agencies and Officers of the Trust. A copy each of the Agenda Note placed before the Board and Extract of the Minutes of the meeting is furnished by the CHPT.</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Proposal of CHPT submitted by it before its Board for approval of revised Container Storage Charges.</td><td>The Sub-Committee submitted its report dated 11.8.1994. From the copy of the Sub-committee report furnished by the CHPT, it is seen that based on detailed discussions and keeping in mind the charges levied at Bombay and Calcutta ports, the following storage charges were felt fair and reasonable by the Sub-committee:
(i) Empty Container:
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Storage/Demurrage on container/cargo to port</td></tr>
<tr><td>Sr. No.</td><td>Classification</td><td>Upto 20 feet in length (`)</td><td>Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)</td><td>Above 40 feet in length (`)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>1-7 days</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>8th to 15th days</td><td>100</td><td>200</td><td>300</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Thereafter</td><td>500</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
</table>
(ii) Loaded Containers:
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Storage/Demurrage on container/cargo to port</td></tr>
<tr><td>Sr. No.</td><td>Classification</td><td>Upto 20 feet in length (`)</td><td>Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)</td><td>Above 40 feet in length (`)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>1-3 days</td><td>Free</td><td>Free</td><td>Free</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>4th to 15th days</td><td>15</td><td>25</td><td>45</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>16th to 30 days</td><td>300</td><td>600</td><td>900</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>Thereafter</td><td>1000</td><td>2000</td><td>3000</td></tr>
</table>
(iii) Shut Out Charges:
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Storage/Demurrage on container/cargo to port</td></tr>
<tr><td>Sr. No.</td><td>Classification</td><td>Upto 20 feet in length (`)</td><td>Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)</td><td>Above 40 feet in length (`)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1000</td><td>2000</td><td>3000</td></tr>
</table>
(iv) Removal Charges:
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Storage/Demurrage on container/cargo to port</td></tr>
<tr><td>Sr.</td><td>Classification</td><td>Upto 20</td><td>Above 20</td><td>Above 40</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>No.</td><td></td><td>feet in length (` )</td><td>feet and upto 40 feet in length (`)</td><td>feet in length(`)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>500</td><td>750</td><td>1000</td></tr>
</table>
iv) Extra Movement Charges at CPY:
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Storage/Demurrage on container/cargo to port</td></tr>
<tr><td>Sr. No.</td><td>Classification</td><td>Upto 20 feet in length (`)</td><td>Above 20 feet and upto 40 feet in length (`)</td><td>Above 40 feet in length (`)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>500</td><td>750</td><td>1000</td></tr>
</table>
The Committee also recommended that till a decision is taken on the proposed rates by the Port Trust, the existing old rates may be applied and not the recently enhanced rates.
Based on the report submitted by the Sub-Committee, a proposal was placed before the Board in its meeting held on 17 August 1994.
The Board vide B.R.No.112 approved the recommendations of the Sub-Committee for revision of container storage charges. Further, in the same meeting, based on a note of Chairman dated 16 August 1994 seeking sanction of Board for interalia, notifying the rates for storage charges on containers in US dollars, the Board vide B.R. No.113, interallia approved the revised container storage charges in U.S.Dollars, in respect of empty containers / FCL containers /shut out containers etc.
</td>
</tr>
<tr>
<td>(iii)</td>
<td>Copy of the Minutes of the Board of Trustees approving the proposal of CHPT for revision of Container Storage Charges.</td>
<td>A copy of the Minutes of the Board of Trustees' Meeting held on 17.8.94 is furnished by the CHPT. As stated above, the Board vide B.R.No.112 approved the recommendations of the Sub-Committee for revision of container storage charges. Further, in the same meeting, based on a note of Chairman dated 16 August 1994 seeking sanction of Board for interalia, notifying the rates for

storage charges on containers in US dollars, the Board vide B.R. No.113, interalia approved the revised container storage charges in U.S.Dollars, in respect of empty containers / FCL containers/ shut out containers etc.</td>
</tr>
<tr>
<td>(iv)</td>
<td>Copy of the proposal of the CHPT sent to the concerned Ministry in the Government of India for approval of the proposal of CHPT for revision of Container Storage Charges.</td>
<td>A copy of the letter dated 24.8.2014 addressed to the Ministry of Surface Transport is furnished by CHPT. The CHPT in its letter has sought sanction of the Government for the cancellation of the rates already published in the Tamil Nadu Govt. Gazette dated 6.7.94 u/s 54 of the MPT Act, since the above rates could not be implemented due to Court's stay order.
Sanction of the Government has also been sought for the revised rates for storage of FCL containers and Empty containers in terms of US Dollars and the rates for shut-out containers under sec.52 of the Major Port Trust Act 1963.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>The letter to Government also states that on receipt of sanction of the Government, the revised rates will be published in the Tamil Nadu Government Gazette to take effect from the date of publication.</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>Copy of the approval of the concerned Ministry in the Government of India conveyed for revision of Container Storage Charges.</td><td>The Ministry vide its letter No.PR-14012/31/94-PG dated 4 July 1995 conveyed its approval for B.R. No.113 dated 17.8.94 and conveyed the sanction of the Central Government under section 52 of the Major Port Trusts Act, 1963 to the proposal contained in the Trustees Resolution No. 113 dated 17 August 1994, except in respect of storage charges for FCL containers beyond 30th day. The storage charges for FCL containers beyond 30th day was precribed as under.
<table>
<tr><td>20’</td><td>20’-40’</td><td>Above 40’</td></tr>
<tr><td>`</td><td>`</td><td>`</td></tr>
<tr><td>US $</td><td>US $</td><td>US $</td></tr>
<tr><td>2000</td><td>4000</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>95.20</td><td>190.40</td><td>285.60</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>Copy of the Gazette Notification.</td><td>A copy of the Gazette Notification dated 19.7.95 is furnished by the CHPT. Thus, the revised container storage charges were as follows:
(i) Empty Container:
<table>
<tr><td></td><td>Upto 20’</td><td>Above 20’-40’</td><td>Above 40’</td></tr>
<tr><td></td><td>US $</td><td>US $</td><td>US $</td></tr>
<tr><td>For the first 7 days</td><td>0.95</td><td>1.91</td><td>2.86</td></tr>
<tr><td>From 8 to 15 days</td><td>4.76</td><td>9.52</td><td>14.28</td></tr>
<tr><td>Thereafter</td><td>23.80</td><td>47.60</td><td>71.40</td></tr>
</table>
(ii) Loaded FCL Import Container
(cleared within 7 days) :
<table>
<tr><td></td><td>Upto 20’</td><td>Above 20’-40’</td><td>Above 40’</td></tr>
<tr><td></td><td>US $</td><td>US $</td><td>US $</td></tr>
<tr><td>For the first 3 days</td><td>Free</td><td>Free</td><td>Free</td></tr>
<tr><td>Next 4 to 15 days</td><td>0.72</td><td>1.19</td><td>2.14</td></tr>
<tr><td>Next 16 to 30 days</td><td>3.10</td><td>5.95</td><td>9.28</td></tr>
<tr><td>Thereafter</td><td>5.95</td><td>11.90</td><td>17.85</td></tr>
</table>
* The Notification also, *inter alia,* states that the rates of storage charges published in Tamil Nadu Government Gazette dated 6 July, 1994 are cancelled in view of the said Notification and the storage charges are substituted with effect from 6 July, 1994.
(iii) Loaded FCL Import Container
(cleared after 7 days) :
<table>
<tr><td></td><td>Upto 20’</td><td>Above 20’-40’</td><td>Above 40’</td></tr>
<tr><td></td><td>US $</td><td>US $</td><td>US $</td></tr>
<tr><td>For the first 3</td><td>Free</td><td>Free</td><td>Free</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		days			
		Next 4 to 15 days	0.72	1.19	2.14
		Next 16 to 30 days	14.28	28.56	42.84
		Thereafter	95.20	190.40	285.60
(c)	A Note on the circumstances that led to revision of Rupee denominated Container Storage Charges to US $ denominated Container Storage Charges with supporting documents.	The CHPT has furnished a Note in this regard. (However, the Note stresses upon the need felt by the CHPT to increase the storage charges and does not throw light upon the circumstance that led to revision of Rupee denominated containers storage charges to US $ denominated charges).			
(d)	The Annex-III of the CHPT letter dated 22 December 2014 being the Order dated 28 August 2000 passed by the Hon'ble High Court of Madras is not legible. The CHPT is, therefore, requested to furnish a legible copy of the said Order.	A legible copy of the Order dated 28.8.2000 is furnished by the CHPT.			
(e)	The copy of notification dated 19 July, 1995 (attached as Annex II to CHPT letter dated 22 December, 2014) shows prescription of Dwell time for containers and storage charges thereon in US$ terms. However, in the copy of the Order of the Hon'ble High Court of Madras dated 28 August, 2000 (attached as Annex III to CHPT letter dated 22 December, 2014), at page 30 of the said Order, which reflects rates prior to 6 July, 1994 and after the two notifications of 6 July, 1994 and 19 July, 1995, the charges are shown to be prescribed in Rupee terms. Infact, in the entire Order of the Hon'ble Court, there is no reference to prescription of charges in US$ terms. The CHPT is, therefore, requested to clarify the position.	The Scale of Rates prior to 6.7.1994 prescribed container storage charges in Rupee terms only. The ChPT vide Notification dated 6.7.1994 increased the container storage charges. However, the container storage charges were prescribed in rupee terms only. Subsequently, based on the recommendations of the subcommittee constituted by the Board, the increased container storage charges notified on 6.7.94 was reduced and approved by the Board vide B.R. No.112 dated 17.8.94. The revised rates approved vide B.R. No.112 also prescribed the container storage charges in rupee terms. However, in the same Board meeting held on 17.8.94, the vide B.R. No.113 approved the prescription of the container storage charges in U.S.Dollar terms, converted based on the revised rates approved vide B.R. No.112. The same was conveyed to the Ministry vide our letter dated 24.8.94, wherein, it has been mentioned that the Board in B.R. No.113 approved the proposed rates recommended by the subcommittee, but converted in U.S. Dollars. The Ministry of Surface Transport vide its letter dated 4.7.1995 conveyed its approval for B.R. No.113. Accordingly, the revised rates approved vide B.R. No.113 was notified in the Tamil Nadu Gazette on 19.7.95. The Notification dated 19.7.95 prescribed the container storage charges in U.S.Dollar terms only. In view of the above, it is stated that the Writ Petition No.11747 of 1994 was filed by MSAA challenging the notification dated 6.7.94 (in rupee terms). Since the subject matter of the Writ Petition was the substantial increase in container storage charges, the issue of conversion of container storage charges into US Dollar terms may not have been dealt with in the Order dated 28.8.2000. Further, with regard to the comparison of rates appearing in page 30 of the Order, it is felt that for			

		convenience of comparison, the revised container storage charges recommended by the Subcommittee may have been taken, since these rates have been converted into U.S. Dollar terms and notified on 19.7.95.
(f)	As the CHPT may be aware, the Hon'ble High Court has directed this Authority to decide on the issue of revision of charges within a period of six months from 8 October, 2014. Considering that the CHPT has communicated this position to this Authority vide its letter dated 22 December, 2014, it is to be seen that almost a period of two and half months has already elapsed after passing of the Order by the Hon'ble Court and only three and half months are available with this Authority to dispose of the matter, inorder to comply with the direction of the Hon'ble Court. Therefore, the CHPT is requested to furnish the requisite information latest by 27 January, 2015, so as to enable us proceed further in the matter in reference.	It is a fact that the High Court has passed an Order on 8 October, 2014 directing TAMP to decide the issue. However, the Order passed on 8 October, 2014 has been issued by the Court only on 24.11.2014. Thereafter, the Trust LA has forwarded a copy of the above Order to ChPT only on 25.11.2014. In this process itself more than one and half months have elapsed. However, on receipt of High Court Order from the Trust LA, action was taken to refer the matter to TAMP and a proposal was prepared and submitted to TAMP in person on 24.12.2014. Hence, TAMP is requested to process the case on priority and the Port will extend its fullest co-operation in this regard.
(g)	The Division Bench of Hon'ble High Court of Madras have directed this Authority to complete the task after putting parties to notice. Therefore, the CHPT letter dated 22 December 2014 along with enclosure is circulated to the users/ organization bodies as mentioned in the list enclosed, as listed in the Order dated 8 October 2014 passed by the Hon'ble Division Bench. Further, since the Ministry of Shipping (MOS) is also seen to be one of the Respondents in the Writ Appeal filed by CHPT, a copy of the CHPT letter dated 22 December, 2014 along with enclosure is also circulated to MOS for their comments.	The CHPT has stated to have noted the position.

6.1. The CHPT was, *inter alia*, requested vide our letter dated 19 February 2015 to furnish working / cost details to arrive at the rate of container storage charges pertaining to the notification of the CHPT dated 6 July, 1994 and 19 July, 1995.

6.2. In this regard, the CHPT vide its email dated 30 March, 2015 has, *inter alia*, stated that the enhancement of container storage charges was resorted to mainly with a view to prevent storage of containers in the port premises for a long period and to penalize the containers which are not taken out of port premises within the free time. Further, the storage charge is not a fee, it is in the nature of ground rent and it has penal connotation. The revised container storage charges were arrived by the Sub Committee of the Board of Trustees (in its report dated 11 August, 1994, copy of which is already furnished to TAMP) and then approved by the Board / Government and no other workings / cost details are available. With reference to conversion of container storage charges into US Dollar terms, it is stated that the Government of India vide Letter No.14012/16/9.1-PG dated 3 August, 1994 directed the Chairmen of all Major Ports that the existing storage and container charges be notified in U.S. Dollars and realized in equivalent Indian Rupees and that such conversion be made on the basis of exchange rates prevalent on 30.6.1991. Accordingly, the container storage charges arrived by the Sub Committee of the Board, were converted into US Dollar terms and approved by the Board vide B.R. No.113 dated 17 August, 1994.

6.3. Based on scrutiny of the CHPT communication dated 8 February, 2015 along with the annexures, we have vide our letter dated 27 March, 2015 requested the CHPT to furnish the following additional information/clarification. The CHPT vide its letter dated 31 March, 2015 has responded. The information sought by us and the response of CHPT thereon are tabulated below:

Sl. No.	Information sought by us	Response of CHPT
i.	After revision of the Container storage	The increased container storage charges notified by the ChPT on

<table>
<tr><td></td><td>charges on 6.7.1994, the CHPT is seen to have approached its Board, who in turn had decided to constitute a Subcommittee to go into the question of hike in rates. The CHPT to explain the reason to have again approached its Board, when the revision of storage charges on 6.7.1994 was carried out after seeking approval of the Board.</td><td>6.7.94 was challenged by the Madras Steamer Agents Association through W.P. No.11747 of 1994, in which the Hon'ble Court granted interim stay. In view of the stay granted by the Hon'ble Court, the container storage charges notified on 6.7.94 could not be implemented. The main ground of challenge by the Petitioner was exorbitant increase in the then existing container storage charges.
When the matter was placed before the Board for further course of action, the Board constituted a Subcommittee to recommend further course of action in this regard.</td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>In page 6 of the Annexure VIII furnished by the CHPT under cover of its aforesaid letter dated 8 February, 2015, at Resolution no.113, a reference is drawn to the Note of Chairman dated 16 August 1994 seeking sanction of Board for notifying the rates for storage charges on container in US Dollars. The CHPT to furnish a copy of the said note of the Chairman dated 16.8.1994.</td><td>A copy of the Chairman's note dated 16 August 1994 is furnished by CHPT.
(The Note of the Chairman concludes by stating that the Board may discuss the recommendations of the Sub-committee and decide the revision of charges and other points as suggested by the Committee in its Report).</td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>The copy of the Order dated 17 September, 2014 passed by the Hon'ble High Court of Madras in the matter in reference (as referred by the Hon'ble Court in its Order dated 8 October, 2014) to be furnished.</td><td>A copy of the docket order dated 17.9.2014 is furnished by CHPT
(The operative portion of the Order is reproduced below:
"The endeavor of the Chennai Port Trust to revise the storage charges through a notification published in the Gazette on 06 July 1994 as well as subsequent revision vide notification dated 19.07.1995 gave rise to writ proceedings and by the impugned order, the revision has been quashed on the ground that it is not commensurate with the services rendered and exorbitantly high. It has been opined that there is no proper consideration by the sub-committee of these aspects, but leave has been granted to the Trust to revise the rates appropriately after due consideration. There are no cross appeals. It is further informed that this issue for subsequent years does not arise on account of Section 47-A of the Major Port Trusts Act, 1963, inserted by Act, 15, 1997, effective from 09.01.1997 conceptualising the statutory committee.
2. There is no gainsay that there will be some revision, but it is the extent of revision which is in question. We thus, put to the learned counsel for the parties that in order to avoid further litigation in this behalf, as also keeping in mind, the passage of time which is already gone by, whether it would be agreeable to refer this issue of revision of charges to the statutory committee which of course came into existence subsequently, in order to put an end to this.**"**)</td></tr>
<tr><td>iv.</td><td>The CHPT to specify whether General revision of its tariff had taken place during the years 1994 to 2000. If so, the percentage of increase/decrease that was effected in the cargo / container related charges of the port as a whole by the Competent Authority at that relevant point of time may be indicated. A copy of the Gazette Notification in this regard may be furnished including the notified Scale of Rates.</td><td>There was no general revision of tariff at CHPT from the year 1994 to 1999. During the year 2000, the general revision of tariff was approved by TAMP vide its Order dated 22 March 2000 (Case No.TAMP/3/99-CHPT), which was notified in the Gazette on 10 April 2000 vide Gazette No.37. The percentage increase proposed by the ChPT and approved by TAMP in the cargo / container activity, in this Order are tabulated below:
<table>
<tr><th>Activity/Sub Activity</th><th>Proposed % of Increase</th><th>% Approved by TAMP</th></tr>
<tr><td>General Cargo</td><td>25%</td><td>18%</td></tr>
<tr><td>Cranage & FLT</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>F.C. Vaigai</td><td>50%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>Ware House</td><td>50%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>P.O.L.</td><td>10%</td><td>---</td></tr>
<tr><td>Iron Ore</td><td>100%</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>Container Handling</td><td>40%</td><td>---</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

7.1. The Subcommittee formed by the Board of the CHPT in 1995 in its Report is seen to have drawn reference to the Scale of Rates of Mumbai Port Trust (MBPT) and Kolkata Port Trust (KOPT) while recommending the container storage charges. Hence, it was felt appropriate to ascertain the position prevailing in SOR of MBPT and KOPT as well as the other major container handling ports. Accordingly, we have vide our letter dated 31 March 2015 requested some of the major container handling Major Port Trusts to send the relevant extract of their Scale of Rates reflecting the Container Storage charges that had prevailed between 1994 to 2000.

7.2. In this response, Kandla Port Trust, Mumbai Port Trust, Jawaharlal Nehru Port Trust, Visakhapatnam Port Trust**,** Cochin Port Trust Tuticorin Port Trust (VOCPT) and Kolkata Port Trust have sent the information. A comparative position of the container storage charges as reflected in the Scale of Rates prevailing between 1994 to 2000 of the above Major Port Trusts will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

8.1. A joint hearing in this case was held on 6 April 2015 at the CHPT premises in Chennai. The CHPT made a Power point presentation on the matter in reference. At the joint hearing, the CHPT and the concerned parties have made their submissions.

8.2. As decided at the joint hearing, the parties were requested vide our letter dated 8 April 2015 to furnish their additional submission, if any, on the subject proposal. In response, Madura Coats Pvt. Ltd (MCPL) vide its letter dated 18 April 2015 and CEPSAA & SCI vide its letter dated 24 April 2015 have made their submissions. These submissions were forwarded to CHPT as feedback information. The CHPT, vide its letter dated 5 May 2015 and 6 May 2015 has furnished its reply on written submissions of the parties. It is relevant to mention here that the CHPT while responding to the comments of MCPL vide its letter dated 5 May 2015 has endorsed a copy of its comments to MCPL also. Accordingly, the MCPL in turn, vide its letter dated 9 May 2015 has responded to the comments of CHPT.

8.3. In response to the MCPL letter dated 9 May 2015, the CHPT vide its letter dated 22 May 2015 has stated that they have no comments to offer as they have already furnished their comments.

9.1. In the meanwhile, it is relevant here to mention that the time period of six months given by the Hon'ble High Court of Madras was getting over by 7 April 2015. Accordingly, we have vide our letter dated 6 April 2015 requested our Advocate to apprise the Hon'ble High Court of the position before 7 April 2015 and file an application on our behalf, to seek a further time of maximum 12 weeks from 7 April 2015 from the Hon'ble High Court to dispose the CHPT matter in reference.

9.2. In this regard, our Advocate vide his letter dated 28 April 2015 has stated that he had mentioned the case before the Division Bench of the Hon'ble Court. Based on the observation and consideration of the Hon'ble Court, our Advocate has stated that since the word used in the Order of the Hon'ble Court dated 8 October 2014 is "endeavour", it shows that it is not a conditional order. Therefore, the Advocate was of the view that we can proceed with the case at the earliest.

10. As brought out earlier, the CHPT had initially vide its letter dated 22 December 2014 requested this Authority to pass necessary order for recovery of the Container storage charges for the period from 6.7.1994 to 21.11.2000, as per the Correction Slip No 9 dated 6.7.1994 issued by the CHPT. (The Correction Slip No 9 dated 6.7.1994 referred by the CHPT relates to the initial increase in the container storage charges effected by the CHPT).

Subsequently, while responding to the submissions made by one of the parties viz., Chennai and Ennore Ports Steamer Agents Association (CEPSAA), the CHPT vide its letter dated 03 February 2015 has stated that the proposal of the Port is to approve the charges as approved by the Board vide B.R. No.112 and 113 dated 17 August 1994. (The B.R. No.112 and 113 dated 17 August 1994 referred by the CHPT relates to the approval given by the Board for revision of container storage charges as per the recommendations of the Sub-Committee and for prescription of rates for storage charges on containers in US dollars, respectively.

Thus, in a nutshell, the proposal of the port is for seeking approval of the following:

Sl. No.	**Particulars**	**(in US$)**		
		20'	***40'***	***Above 40'***
1	**Empty Containers**			
	1st 7 days	0.95	1.91	2.86
	8 – 14 days	4.76	9.52	14.28
	Thereafter	23.80	47.60	71.40

2	**Loaded Containers (cleared after 7 days)**			
	1st 3 days	Free	Free	Free
	4 – 15 days	0.72	1.19	2.14
	16 – 30 days	14.28	28.56	42.84
	Thereafter	95.20*	190.40*	285.60*

* Though the CHPT had sought approval of the Ministry for the rates as recommended by the Sub-committee denominated in US Dollars, the Government while according approval has considered the rates for the Loaded containers beyond the 30th day as ` 2000/- for a 20', ` 4000/- for 40' and ` 6000/- for Above 40' and notified the Dollar denominated tariff accordingly.

11. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in

12. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i) This Authority was constituted in April 1997 by an amendment to the Major Port Trusts Act, 1963 to frame Scale of Rates at which, and a statement of conditions under which, any of the services specified under Section 48 provided by the Major Port Trusts or any other person authorized under Section 42 at or in relation to the Port or port approaches. One of the services listed under Section 48 is storage or demurrage of goods on any such place within the limits of the port or port approaches. This Authority is also mandated under Section 49 of the Act to frame Scale of Rates and statement of conditions for use of property belonging to the Major Port Trusts. Before amendment to the Act, the Major Port Trusts were realizing charges for services rendered and for use of port property in accordance with the rates proposed by the Major Port Trust, approved by the Board of Trustees and sanctioned by the Union Government.

(ii) Prior to handing over of the container terminal in November 2001 to the Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL), a BOT (Build, Operate, Transfer) operator at the CHPT, the CHPT was handling containers, apart from other major cargo items like Dry Bulk Cargo (Food grains, iron ore, coal fertilizers etc.), Liquid Bulk (Crude oil, Petroleum Products etc.,) and Break Bulk (Sugar, Project cargo etc.,) and other miscellaneous cargo category.

(iii) The 1992 edition of the Scale of Rates of the CHPT prescribed charges for container storage, among other charges for various cargo items. Prior to 6 July 1994, the container storage charges were denominated in Indian Rupee terms. In July 1994, the CHPT enhanced the container storage charges revising the relevant entries in the Scale of Rates of 1992. The denomination of container storage charges in Indian Rupee terms was retained in July 1994. The Chennai Steamer Agents Association (CSAA) challenged the enhancement of storage charges in the Hon'ble High Court of Madras and obtained a stay in July 1994. Therefore, the CHPT desired to review the matter and appointed a sub-committee comprising of few Trustees and user Associations, among others to go into the question of hike in storage charges of Fully Loaded Container (FCL), among other container related tariff items. The sub-committee moderated the rates and was approved by the Board of the CHPT in August 1994. The rates were denominated in US $. The then Ministry of Surface Transport conveyed its approval in July 1995 for the moderated rates. The CHPT substituted the reduced rates by its notification in the Gazette on 19 July 1995 with effect from 6 July 1994. The 19th July 1995 notification was also challenged by the CSAA in the Hon'ble High Court of Madras. The Hon'ble Single Judge quashed both the notifications of CHPT by Order dated 28 August 2000 without prejudice to the right of the CHPT to prescribe reasonable increase in the rates after taking the relevant materials into consideration and after giving an opportunity to the concerned parties. The Order also directed CHPT to refund any amount collected in excess. Aggrieved by the Order of the Single Judge, the CHPT went on appeal before the Division Bench to set aside the Order dated 28 August 2000 passed by the Hon'ble Single Judge. The Hon'ble Division Bench in the interim order dated 22 November 2000 stayed the Order of the Hon'ble Single Judge which directed refund of the amount and collecting the arrears as per the new rates. The Hon'ble Division Bench, however, directed the concerned to pay the rates as per the revised tariff from 22 November 2000. Thereafter, by the Common Judgment dated 9 October 2014, the Hon'ble Division Bench has referred the issue of extent of revision of charges, if any, for the period

from 06 July 1994 to August 2001 to this Authority with the consent of the Appellants after putting the parties to notice, even recognizing that the constitution of this Authority was later to July 1994. The direction of the Hon'ble High Court is binding on this Authority, though this Authority was constituted in April 1997 only.

(iv) Accordingly, in order to put the parties on notice, the prescribed consultation proceeding was initiated. A copy of the CHPT communication dated 22 December 2014 along with the enclosures was made available to the parties. The container storage charges leviable under the challenged notification of the CHPT for the container handled during the period in question formed part of the CHPT communication dated 22 December 2014, in the form of firm-wise details of container storage charges leviable as per the notification dated 19 July 1995, as confirmed by the CHPT.

(v) The CHPT had issued two notifications, one on 06 July 1994 revising the storage charges for empty containers and FCL containers, among other charges, and another notification on 19 July 1995 substantially reducing the increase notified on 6 July 1994. The notification dated 19 July 1995 was based on the Resolution No. 112 and 113 dated 17 August 1994 of the Board of Trustees of CHPT. On the ground that the Hon'ble Single Judge of the High Court of Madras had set aside the two notifications and the Order of Hon'ble Division Bench had not set aside the findings of Hon'ble Single Judge the CSAA requested this Authority to direct the CHPT to file a fresh proposal before this Authority for revision of the tariff for the period in question. When the request of the CSAA was conveyed to the CHPT, the port has submitted that the proposal of the port is for approval of the storage charges in US $ terms for empty containers and FCL (cleared after 7 days) approved by its Board of Trustees by Resolution No. 112 and 113 dated 17 August 1994. Resolution No. 112 relates to moderation of storage charges for empty containers. It also relates to moderation of storage charges of loaded containers (FCL) cleared after seven days corresponding to the entry at Serial No. 2 (Loaded Containers), III in the Scale of Rates of CHPT of 1992 Edition. The resolution No. 113 relates to denomination of charges in US $ terms. The port has pleaded its inability to prepare a fresh proposal. The port has contended that it is for this Authority to examine the entire case independently and issue orders as per the order of the Hon'ble Division Bench. Since the CHPT has categorically stated that its proposal is to go ahead with the Board Resolution of 17 August 1994, it may not be appropriate for this Authority to reject the Resolutions No. 112 and 113 dated 17 August 1994. Therefore, the Resolution No. 112 and 113 dated 17 August 1994 is considered as the proposal of the CHPT.

(vi) With reference to the request made by the MCPL to the CHPT to make available the container storage charges leviable under the orders set aside by the Hon'ble Single Judge, for the containers handled during the period in question, as rightly pointed out by the CHPT, the communication dated 22 December 2014 of the CHPT a copy of which was circulated to the parties, contained the firm-wise details of the container storage charges leviable as per the CHPT notification dated 19 July 1995. As regards the actual cost incurred by the CHPT for rendering the storage services, as sought by the MCPL, the cost incurred by the CHPT is not relevant, in the opinion of the CHPT, since the container storage charges is not a fee for the services rendered; it is in the nature of ground rent for the space occupied by the containers and it has a penal connotation. This response of the CHPT is not acceptable to the MCPL. The MCPL has stated that the details of cost of providing the service and the extent of levy of container storage charges levied by other Major Port Trusts must be made available to this

Authority. Though the cost of providing the storage services was the contentious issue in the High Court proceedings and the consultations proceedings conducted by this Authority, no such cost details were made available to this Authority. As regards the information regarding levy of storage charges by other Major Port Trusts, we have collected the container storage charges levied by the other major container handling ports, in different slab periods and considered in this analysis.

(vii) This Authority is required, as per the directions of the Hon'ble Division Bench, to put the parties to notice before completing the task. Accordingly, the prescribed consultation process was initiated, as stated earlier. A copy of CHPT communication dated 22 December 2014 was circulated among the parties. This Authority facilitated the exchange of written arguments between the parties and the CHPT. A joint hearing with the CHPT and the parties was set up at the CHPT premises. The CHPT and the parties made their arguments, at the joint hearing which were taken on record. The CSAA was permitted to be represented by its legal counsel at the joint hearing.

The CSAA has sought to argue in its letter dated 7 February 2015 that the Hon'ble Single Judge has struck down the CHPT notifications and the Hon'ble Division Bench had only stayed the direction given by the Single Judge to refund the amount. The CSAA also argued that that the Hon'ble Division

Bench has not set aside the findings of Single Judge and the CHPT cannot refer to the tariff unilaterally fixed by it, and CHPT has to submit a fresh proposal. The above said arguments were again made by the Legal Counsel representing the CSAA at the joint hearing held on 6 April 2015. The CSAA has again reiterated its arguments made in its letter dated 7 February 2015 and the arguments made at the joint hearing by way of another letter dated 24 April 2015. In its letter dated 24 April 2015, the CSAA sought for a personal hearing. The CSAA has not brought out any new issues in its letter dated 24 April 2015. The said letter has also not brought out any extraordinary circumstances warranting another hearing. The CSAA has already been heard through its legal counsel at the joint hearing held on 6 April 2015.

At this juncture, it would be expedient to ponder upon some arguments advanced by the CSAA regarding the judgments of the Hon'ble Single Judge of the Madras High Court and Hon'ble Division Bench of the Madras High Court. The CSAA vide its letter dated 07 February 2015 and during the joint hearing proceedings held on 06 April 2015 and subsequently followed by another letter dated 24 April 2015 repeatedly and vehemently contended to mean that the Hon'ble Single Judge has struck down the CHPT notifications and the Hon'ble Division Bench had only stayed the direction given by the Single Judge to refund the ***excess*** amount, and the Hon'ble Division Bench of Madras High Court has not set aside the findings of the Hon'ble Single Judge. It is amply made clear here that it is not for this Authority to go into the effect of the judgments of the Hon'ble Madras High Court, since this Authority undertook the exercise of revision of container storage charges for the period from 06 July 1994 to August 2001, in compliance of the direction of the Hon'ble Division Bench of the High Court of Madras. As such, this Authority is not at all in a position to look into the arguments advanced by the CSAA regarding the effects of the Orders of the Hon'ble Single Judge and Division Bench of the Madras High Court, but to comply with the Order of the Hon'ble Division Bench of Madras High Court.

(viii) While the MPCL has argued as a consignee that container storage charges should not be levied on the consignee, the GSAPL and KSAPL have argued that steamer agents should not be penalized for the default of the consginees in taking delivery of the imported cargo. The issue referred by the Hon'ble Division Bench to this Authority is limited to the extent of revision of container storage charges, if any, at the CHPT for the period from 6 July 1994 to August 2001. Therefore, this Authority does not like to traverse beyond the mandate of the Division Bench.

(ix) Drawing reference to Section 61 of the Major Port Trusts Act, 1963, the GSAPL and KSAPL have sought to argue that the CHPT cannot impose any charges until expiry of two months. Section 61 of the said Act governs sale of goods after two months if rates or rent are not paid or lien for freight is not discharged. The said provisions of the Act do not stop a Port Trust from levying charges until expiry of two months.

(x) The GSAPL and KSAPL have opined that there is no necessity to collect the storage charges in US $ terms for the services rendered within India to the consignees in India. As brought out by CHPT, conversion of Rupee denominated container storage charges to dollar denominated charges carried out by CHPT flowed from the direction of the Government of India vide its letter No. 14012/16/99.1-PG, dated 03 August 1994, wherein the Government has directed the Chairmen of all the Major Port Trusts to notify the then existing storage and container charges in US Dollars and to be realized in Indian Rupees by considering an exchange rate as prevalent on 30 June 1991. It is in this context that the CHPT has converted the Rupee denominated container storage charges as recommended by the Sub-Committee and as approved by its Board into Dollar denominated charges. In fact, from the extract of the Scale of Rates obtained from some of the major container handling Major Port Trusts reflecting the Container Storage charges (as brought out in detail in the earlier part of the Note), it can be seen that even those ports have denominated the container storage charges in US Dollars for the period post 1994. Unless there is volatility in the foreign exchange variation weakening Indian Rupee denomination of charges in US $ terms may not put the users in financial hardship.

(xi) (a) As brought out earlier, the Hon'ble High Court has directed this Authority to decide on the issue of revision of container storage charges for the period from 06 July 1994 to 21 November 2000. In this connection, a table showing a comparison of the container storage charges at CHPT is given below, for ease of reference:

Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6
Sl.	**Particulars**	**Prior to 6 July**	**Notified on 6 July**	**Recommended by the**	**Notified on 19 July 1995**

No.		1994 (in `)			1994 (in `)			Sub-Committee (in `)			by adopting an exchange rate of ` 21.05 per US$ on rates prescribed in Col 5 (in US$)		
		20'	40'	Above 40'	20'	40'	Above 40'	20'	40'	Above 40'	20'	40'	Above 40'
1	**Empty Containers**												
	1st 7 days	20	40	60	20	40	60	20	40	60	0.95	1.91	2.86
	8 – 14 days	40	75	120	500	1000	1500	100	200	300	4.76	9.52	14.28
	Thereafter	125	250	375	1000	2000	3000	500	1000	1500	23.80	47.60	71.40
2	**Loaded Containers (cleared after 7 days)**												
	1st 3 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free
	4 – 15 days	15	25	45	500	1000	1500	15	25	45	0.72	1.19	2.14
	16 – 30 days	65	125	195	2000	4000	6000	300	600	900	14.28	28.56	42.84
	Thereafter	125	250	375	7000	14000	21000	1000	2000	3000	95.20*	190.40*	285.60*

***** Though the CHPT had sought approval of the Ministry for the rates as recommended by the Sub-committee denominated in US Dollars, the Government while according approval has considered the rates for the Loaded containers beyond the 30th day as ` 2000/- for a 20', ` 4000/- for 40' and ` 6000/- for Above 40' and the CHPT notified the Dollar denominated tariff accordingly by adopting an exchange rate of ` 21.05 per US$.

(b) The proposal of the CHPT is as given below:

Sl. No.	Particulars	(in US$)		
		20'	***40'***	***Above 40'***
1	**Empty Containers**			
	1st 7 days	0.95	1.91	2.86
	8 – 14 days	4.76	9.52	14.28
	Thereafter	23.80	47.60	71.40
2	**Loaded Containers (cleared after 7 days)**			
	1st 3 days	Free	Free	Free
	4 – 15 days	0.72	1.19	2.14
	16 – 30 days	14.28	28.56	42.84
	Thereafter	95.20	190.40	285.60

(c) The period for which the CHPT has sought approval for the container storage charges is from 06 July 1994 to 21 November 2000. The parties consulted also refer to the period ended on 21 November 2000. Incidentally, the Hon'ble Division Bench vide their lordship's interim order dated 22 November 2000 had directed the parties to pay the revised storage charges from 22 November 2000. It appears that CHPT has sought approval for the container storage charges

for the period ended on 21 November 2000 since the Division Bench had already allowed the CHPT to collect the revised storage charges from 22 November 2000. However, the final order dated 8 October 2014 of the Hon'ble Division Bench has directed this Authority to decide the issue for the period from 6 July 1994 to August 2001. Therefore, the issue of the revision of storage charges is required to be considered for the period 6 July 1994 to August 2001.

(xii) The MCPL, GSAPL and KSAPL have opined that rates must be commensurate with the services rendered. Cost of providing services would be a measure of the services rendered. The container storage charges were arrived by the Sub Committee in its report dated 11 August 1994 and no other workings / cost details are made available. In the absence of any cost details made available, it is not found possible to adopt cost based approach.

(xiii) As far as the extent of revision of container storage charges under took in this exercise is concerned, a pivotal aspect of this case is such that, this Authority in compliance of the direction of the Hon'ble Division Bench of Madras High Court is venturing upon to fix the rates for the period 06 July 1994 to August 2001. As per the Orders of the Hon'ble High Court, the contending parties by their mutual agreement expressed their willingness to get the charges fixed for the period under question through this Authority. In order to facilitate fixation of tariff for the period under question the CHPT did not place any cost details before this Authority. Nor were there suggestions from the parties consulted except either to maintain status quo of pre 06 July 1994 rates or to refer to the charges at other Major port Trusts that prevailed during the relevant point of time.

Another interesting aspect of fixation of the charges for the period concerned is that though all the parties, be it CHPT or users are mutually agreeable for the proposition that this Authority may decide the rates for the period in question, there was no mutual understanding among the parties as to what extent the revision ought to be. CSAA was willing for a 10% increase in rates, whereas couple of other users viz., MCPL, GSAPL and KSAPL were of the view that the rates must be commensurate with the services rendered. The CHPT on its part had neither come up at the joint hearing with any concrete percentage of increase it is expecting, but requested this Authority to strike a balance between the interest of the port as well as the trade.

For this purpose, this Authority looked into the manner in which the Sub-committee formed by CHPT fixed the rates, as ascertained that the Sub-Committee referred to the rates prevalent at other major ports. Some users have also gave a lead to consider the rates at other major ports also that were prevalent during the period under question.

(xiv) On perusing the Sub-Committee Report, it is seen that the Sub-Committee has drawn reference to the Scale of Rates of Mumbai Port Trust (MBPT) and Kolkata Port Trust (KOPT) while recommending the container storage charges. The MCPL has also given a lead to refer to the storage charges levied by other Major Ports for the relevant period. In this context, the extract of the Scale of Rates were obtained from some of the major container handling Major Port Trusts reflecting the Container Storage charges prevalent during the period from 1994 to 2000, including MBPT and KOPT. The container storage charges as obtained from the various Major Port Trusts are also found to be of little help. Though the base container storage charges as arrived by the Sub-Committee in its report dated 11 August 1994 in respect of CHPT, is seen to be almost comparable to the base container storage charges levied in other Major Port Trusts, the rate of increase from one chargeable slab to another chargeable slab and the chargeable slab periods are not uniform across the Port Trusts.

(xv) In the major container terminal of JNPT, the rate of increase from first chargeable slab to the second chargeable slab was 100%. Likewise, the rate of increase from the second chargeable slab to third chargeable slab is also seen to be 100%. The similar position prevailed during the relevant point of time at the COPT also. In the case of the CHPT, the rate of increase from first chargeable slab to the second chargeable slab in respect of empty containers was 500% and the increase from second slab to third chargeable slab was also 500%. If the rate of increase in respect of loaded containers is seen, the increase from first chargeable slab to second chargeable slab was around 200%. The increase in third slab with reference to the second chargeable slab was around 670%. Thus, the rate of increase is high at the CHPT as compared to the other Major Port Trusts as brought out above. As rightly pointed out by MCPL, GSAPL and KSAPL, charges were different at the CHPT from what was collected in other Major Port Trusts cited above. Therefore, there is a case for moderation in the container storage charges approved by the Board of Trustees of the CHPT by Resolutions No. 112 and 113 of 17 August

1994. The CHPT has suggested to strike balance between the interest of the port as well as parties, as submitted by the port at the joint hearing.

(xvi) The MCPL has argued that the rates that prevailed prior to 6 July 1994 must be fixed. However, the Order dated 28 August 2000 passed by the Hon'ble Single Judge quashing the impugned notifications is without prejudice to the right of the CHPT to prescribe reasonable increase in the rates, as recorded in the said Order. The Board Resolutions No. 112 and 113 dated 17 August 1994 filed by the CHPT as its proposal for increase of container storage charges for the period in question is before this Authority for consideration. The CSAA which was present at the joint hearing, requested for an amicable solution to the issue and it is agreeable for a 10% increase over the container storage charges prevailed in the year 1994. 10% increase does not meet the figure to strike a balance between the interest of port and the parties.

(xvii) The GSAPL and KSAPL while opposing the increase in container storage charges sought by the CHPT have stated that the vessel owners to whom the steamer agents rendered the service are outside India and the steamer agents are not aware whether the vessel owners still trade. The GSAPL and KSAPL have contended that it is not possible for them to trace the vessel owners to claim the differential amount for the services rendered before 21 years. The steamer agents are well aware that the CHPT had gone on appeal in the year 2000 before the Division Bench challenging the order passed by Hon'ble Single Judge on 28 August 2000. They are also aware that the judgment of the Division Bench was awaited. It may not be unreasonable to state that the steamer agents should have been well prepared to meet the financial obligation due to the CHPT if the appeal filed by the CHPT succeeds. The interim order dated 22 November 2000 passed by the Hon'ble Division Bench requiring the parties to pay the rates as per the revised tariff with effect from 22 November 2000 is sufficient clue for the steamer agents to alert their vessel owners 15 years ago to get ready to meet the financial implication for the period from 6 July 1994 to 21 November 2000. Therefore, the vessel agents cannot now come up with the argument that they cannot trace the vessel owners to claim the differential amount from the vessel owners.

(xviii) The 1992 edition of Scale of Rates of CHPT (before 6 July 1994) prescribed storage charges for loaded containers in two schedules, one for the containers cleared within 7 days and another schedule for containers cleared after 7 days. The Two schedules prescribed identical rates, the difference being only the date of commencement of storage charges. While increasing the storage charges, the schedule pertaining to the containers cleared within 7 days was left intact and only the schedule containing the charges pertaining to the containers cleared after 7 days was revised. The parties always had an option to evacuate the containers within 7 days and avoid coming into the purview of the schedule which prescribed the higher charges for containers evacuated after 7 days. If the parties had chosen not to avail of the less cost option, when such option was available to them they may have to bear the burden of higher cost option or at least share the burden.

The CHPT submitted that the Container storage charges were revised with an intension to drive out the containers which have not been cleared within the reasonable time and if such enhancement is not resorted to, the accumulated container in the transit area will obstruct the functioning of the container terminal and the whole interest of the CHPT will suffer. The very purpose for enhancement of charges was to curtail the defaulters to use the transit area as a warehouse for their containers and not for those who are genuine and cleared the containers promptly within the stipulated time of 7 days. The objective of the CHPT to revise upward the container storage charges is to decongest the container terminal from long pending containers. The long pending containers created insufficient slot for import containers and the CHPT was required to make unproductive moves by the transfer cranes. It is also required to be recognized that it is the responsibility of the users to clear the containers within the free days after completing all the formalities of the Inspection Agencies and the Custom Authorities if the users want to avoid the payment of storage charges. This Authority is inclined to take note of the above reasons brought out by the CHPT in the current proceedings for hike in the Container Storage Charges.

(xix) Keeping in view the request of the CHPT to strike a balance between the interest of the port and the parties, the inclination of the CSAA to accept an increase in the charges to close the long pending case, and also bearing in mind that the CHPT has levied the container storage charges as approved by its Board in the Resolutions No. 112 and 113 dated 17 August 1994 following the interim order of the Hon'ble Division Bench from 22 November 2000, it may not be unreasonable to prescribe the storage charges for the period from 6 July 1994 to 21 November 2000 at 50% of the rates approved by the

Board of Trustees of CHPT by its Resolutions No 112 and 113 dated 17 August 1994 for empty containers and loaded containers (cleared after 7 days).

The chargeable slabs at CHPT and the JNPT are identical for loaded containers. If a comparison is made between the 50% of the rates for loaded containers at CHPT with the rates for loaded containers that were prevailing at the relevant point of time at JNPT it can be seen that the rates for first chargeable period of 04 to 15 days at JNPT was at a higher level of 3.25 US Dollar per TEU as compared to mere 0.36 US Dollars per TEU at CHPT. As regards the next chargeable slab from 16 to 30 days, the rate at CHPT at 50% of the rate approved by the Board of Trustees will be 7.140 US Dollars per TEU is comparable to the rate of 6.50 US Dollars that prevailed at JNPT. It is also required to be mentioned that at 50% of the rate for the slab period beyond 30 days which is 47.60 Dollars per TEU is very much on the higher side as compared to the 13 US Dollars per TEU at the JNPT for the period beyond 30 days. The cash out go for the parties, who had evacuated the containers within 30 days is comparable to the cash out go had they evacuated the containers at JNPT during the relevant point of time.

Since the Hon'ble Division Bench has directed this Authority to decide the revision of charges for the period upto August 2001 it is also necessary to decide the revision of charges for the period from 22 November 2000 to August 2001. The Hon'ble Division Bench by their interim order dated 22 November 2000 had directed the parties to pay the charges as per the revised rates. The parties consulted in the proceedings have no pointed objection to the revised rates for the period from 22 November 2000. That being so, this Authority is inclined to order that for the period 22 November 2000 to August 2001, the rates approved by the Board of Trustees of CHPT by its Resolutions No. 112 and 113 will be applicable.

(xx) Clause 3.2.8 of 2005 Tariff Guidelines prescribed a lead time of 30 days from the date of Gazette Notification for the tariff order to take effect. In other words, the lead time of 30 days is a notice period. Therefore, the concerned parties should pay the revised charges within 30 days from the date of notification of the order in the Gazette of India. The rate of interest on the delay in payments will be governed by the relevant provision of the existing Scale of Rates of CHPT.

(xxi) During the proceedings of this case, the CHPT furnished a list of outstanding dues payable by the parties for the period 6 July 1994 to 20 November 2000 at `.116.50 crores (rounded off) at the rates proposed by the port. This amount is in the knowledge of the parties as this list was shared with them.

At the 50% of rates the amount due would work out to `58.25 crores in absolute terms, subject to the correctness of the calculations made by CHPT. If time value of money is taken into account at conservative 8% discount factor from November 2000 to November 2015, the present value (PV) of `58.25 works out to only `18.36 crores (**Annex - I**). This apart, the CHPT has lost interest on this amount of `58.25 crores during the last 15 years.

13. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the following container storage charges is approved.

(A) <u>For the period from 6 July 1994 to 21 November 2000:</u>

Sl. No.	**Particulars**	**Container Storage charges in ` per day or part thereof**		
		20'	40'	Above 40'
1	**Empty Containers**			
	1st 7 days	0.475	0.955	1.430
	8 – 14 days	2.380	4.760	7.140
	Thereafter	11.900	23.800	35.700
2	**Loaded Containers (cleared after 7 days)**			
	1st 3 days	Free	Free	Free
	4 – 15 days	0.360	0.595	1.070
	16 – 30 days	7.140	14.280	21.420
	Thereafter	47.600	95.200	142.800

Note :- The revised charges should be paid within 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. The rate of interest on the delay in payment, if any, shall be as per the relevant provision of the existing scale of rates of CHPT.

(B) For the period from 22 November 2000 to August 2001:

Sl. No.	Particulars	(in US$)		
		20'	**40'**	**Above 40'**
1	**Empty Containers**			
	1st 7 days	0.95	1.91	2.86
	8 – 14 days	4.76	9.52	14.28
	Thereafter	23.80	47.60	71.40
2	**Loaded Containers (cleared after 7 days)**			
	1st 3 days	Free	Free	Free
	4 – 15 days	0.72	1.19	2.14
	16 – 30 days	14.28	28.56	42.84
	Thereafter	95.20	190.40	285.60

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/15/362]

Annex -I

Net Present Value of storage charges receivable by CHPT

(i) Discounting factor 8.0%

NPV of Re. 1	at the end of the year	November 2000
0.92593	1st year	November 2001
0.85734	2nd year	November 2002
0.79383	3rd year	November 2003
0.73503	4th year	November 2004
0.68058	5th year	November 2005
0.63017	6th year	November 2006
0.58349	7th year	November 2007
0.54027	8th year	November 2008
0.50025	9th year	November 2009
0.46319	10th year	November 2010
0.42888	11th year	November 2011
0.39711	12th year	November 2012
0.36770	13th year	November 2013
0.34046	14th year	November 2014
0.31524	15th year	**November 2015**

Net Present Value of Rs. 582467657 receivable in the November 2000 if received in November 2015 will be

(ii) Storage Charges receivable	Rs.	582467657
(iii) NPV in the Nov 2015 at 8 % discounting factor. (ii *0.31524)	Rs.	183617104

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.